

दूसरा अध्याय

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 छत्तीसगढ़ में पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

2009–10 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की वितरण व्यवस्था की हानियाँ अत्याधिक उच्च 36.29 प्रतिशत के औसत पर थी। इस प्रकार के विषयों पर ध्यान देकर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को भारत सरकार द्वारा सुधार एवं पुनर्नामांकित (जुलाई 2008) कर “पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)” किया गया और सितम्बर 2009 में छत्तीसगढ़ में लागू किया। आर–एपीडीआरपी के मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था में विद्युत की हानि {कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि} को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना था। योजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) का भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। आर–एपीडीआरपी की कुल परियोजना लागत ₹ 873.75 करोड़ थी।

आर–एपीडीआरपी की परियोजनाएँ भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) छत्तीसगढ़ के चुने हुए 20 शहरों में ₹ 122.45 करोड़ की परियोजना लागत के साथ, पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली (स्काडा) ₹ 41.06 करोड़ के परियोजना लागत के साथ चुने हुए 2 शहरों में तथा भाग–ब (वितरण प्रणाली में सुदृढ़ीकरण) ₹ 710.24 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 19 चुने हुए शहरों में क्रियान्वित हुए हैं।

बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व 17 माड्युल के साथ आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र का क्रियान्वयन भाग–अ में सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों में स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित किये जा रहे थे। नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग–ब में सम्मिलित किये गये। योजना का भाग–अ अगस्त 2015 तक पूर्ण किया गया। जबकि स्काडा के कार्यान्वयन में मार्च 2016 तक कोई प्रगति नहीं थी। योजना के भाग–ब के संबंध में मार्च 2016 तक 84 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गयी।

विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 के दौरान, 20 शहरों में विद्युत वितरण हानियाँ की सीमा 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के बीच थी। ₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में एटीएण्डसी हानियाँ के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहर ही हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई हैं किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। एटीएण्डसी हानियों के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यों के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चूककर्ता

उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि था। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.13.1)

परियोजनाओं के पूर्ण हुए बिना गो—लाइव की घोषणा

प्रणाली हेतु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार एक परियोजित शहर को गो—लाइव घोषित करने के लिए आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना व मानवदखल रहित ऑनलाइन एटीएण्डसी हानियों की प्रतिवेदन की प्राप्ति आवश्यक है। योजना के भाग—अ (आईटी समर्थ प्रणाली) के अन्तर्गत कम्पनी ने सभी शहरों को अगस्त 2015 तक गो—लाइव घोषित कर दिया। जबकि, योजना के भाग—अ के अन्तर्गत प्रावधान किये गये 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया, अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल के द्वारा सभी फीडर ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नहीं किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरूप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा शिकायतों के निवारण की निगरानी नहीं कि जा सकी, अनुरक्षणों के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे और उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 10 शहरों में हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया, उपभोक्ताओं के 61 प्रतिशत (500 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से) को ग्राहक संतुष्टि सेवाओं के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी परिणामस्वरूप, उनके द्वारा अपनी शिकायतों, प्रश्नों व अन्य बिलिंग से संबंधित समस्याओं को पंजीकृत करने के लिए टेलीफोन या ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 10 शहरों में सर्वेक्षित उपभोक्ताओं के 16 प्रतिशत (500 में से 82 उपभोक्ताओं) द्वारा शिकायत कि गयी कि उनके मीटरों की गणना नियमित रूप से नहीं की जा रही है तथा ऊर्जा प्रभार औसत उपयोग के आधार पर प्रदान किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि उपभोक्ताओं के 9 प्रतिशत (500 में से 47) द्वारा बिजली का बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। शिकायतों के निराकरण में विलंब के बावजुद भी शासन व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा कम्पनी को शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.10.1, 2.1.10.4, 2.1.10.5, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8)

उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन

कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन पूर्ण नहीं किया गया जैसा कि 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 1.99 लाख (21 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का सूचीकरण नहीं किया गया था क्योंकि कम्पनी के द्वारा नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10.7)

ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए मॉडेम

नेटवर्क समस्या, तारो में खराबी, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, खराब मॉडेम इत्यादि कारणों से वितरण ट्रासफार्मर (डीटीआर) और फीडर के लिए ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए लगाये गये 10361 मॉडेम में से सिर्फ 3240 मॉडेम ही 31 मार्च 2016 तक आँकड़ों का संचार कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, डीटीआर और फीडरों के ऊर्जा आँकड़ों के संचार में कमी को पुरा करने के लिए कम्पनी को ऊर्जा आँकड़ों की हस्त

प्रवृष्टियाँ करनी पड़ी जिससे कि योजना के उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण में मानव दखल की समाप्ति पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.10.3)

स्काडा का क्रियान्वयन

इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्काडा ₹ 41.06 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ दो शहरों में लागू किया जाना था। जबकि, स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) की नियुक्ति में विलंब, एसआईए की ओर से निष्क्रियता व कम्पनी द्वारा स्काडा समर्थ अद्योसंरचना सुविधा प्रदत्त न किये जाने के कारण चार वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी परियोजनाओं में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, कम्पनी रिमोट आपरेशन के माध्यम से प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.11 एवं 2.1.11.1)

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ योजना खाते के स्थान पर अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा करा दिया जिससे योजना खाते पर ₹ 1.70 करोड़ ब्याज आय की हानि हुई। इसके अलावा, योजना की राशि ₹ 312.09 करोड़ तुरन्त आवश्यकता से पहले निकाल लिये गये और 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा कर दिये गये। निकाली गयी राशि पर सावधि जमा पर प्राप्त राशि से अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार पड़ा तथा योजना राशि पर अर्जित ब्याज आय ₹ 21.02 करोड़ योजना खाते में क्रेडिट नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी और प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप योजना के शर्तों के अनुपालन में तथा योजना का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसएलडीआरसी प्रभावी निगरानी नहीं रख पायी।

(कंडिका 2.1.14.1)

प्रस्तावना

2.1.1 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को ऊर्जा मंत्रालय, (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ग्यारवी योजना के दौरान संशोधित (जुलाई 2008) करके पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) किया गया। आर-एपीडीआरपी योजना का मुख्य उद्देश्य कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियाँ को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए पॉवर फाइनेस कार्पोरेशन (पीएफसी) भारत सरकार की प्रमुख संस्था थी। छत्तीसगढ़ में, जहाँ राज्य की एटीएण्डसी हानियाँ 2009–10 के दौरान अत्यधिक उच्च 36.29 प्रतिशत थी, योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा की गयी। योजना 30000 से अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को लागू होती है।

योजना को भाग-अ व भाग-ब में बाँटा गया। बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र,

दो बड़े शहरों¹ में पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग—ब में सम्मिलित किये गये।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन सचिव (ऊर्जा) के अधीन किया गया जिसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), चुनिंदा राज्य सरकारों के तथा ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) का गठन (अगस्त 2009) परियोजना प्रस्तावों पर सिफारिश के लिए, योजना के शर्तों के अनुपालन की निगरानी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का विभाजन पहला कदम था तथा जिससे ऊर्जा क्षेत्र के सुधार में तेजी आई। धारा 131 से 134, भाग —13, विद्युत अधिनियम, 2003 (2 जून 2003) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बोर्ड का पुनर्गठन उस तारीख को करना है जो वह स्वयं निर्धारित करें। तदानुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन (1 जनवरी 2009) पाँच कम्पनियों यथा छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर हॉलिडंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड में किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) की स्थापना आर-एपीडीआरपी के तहत सहायता का लाभ उठाने के लिए एक प्रारंभिक शर्त थी और तदानुसार सीएसईआरसी का गठन 3 अक्टूबर 2001 को किया गया।

अनुदान प्रणाली व योजना से लाभ


2.1.2 छत्तीसगढ़ में, योजना की स्वीकृत लागत ₹ 873.75 करोड़ थी। योजना में भारत सरकार के द्वारा पीएफसी के माध्यम से भाग—अ (स्काडा को सम्मिलित कर) के लिए 100 प्रतिशत ऋण तथा भाग—ब के लिए 25 प्रतिशत ऋण का प्रावधान किया गया। शेष राशि (भाग—ब के लिए 75 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थानों (एफआई) जैसे पीएफसी/आरईसी और स्वयं के स्रोत से व्यवस्था किया जाना है। योजना को निर्धारित समय पर पूरा करने या बढ़ाये हुए समय पर पूरा करने और पीएफसी द्वारा नियुक्त अन्य पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था (टीपीआईईए) द्वारा सत्यापित व प्रतिवेदित के शर्त के अधीन भाग—अ के ब्याज सहित पुरे ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जा सकेगा और परियोजना शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ 15 प्रतिशत हासिल करने पर तथा जिसका पूर्ण सत्यापन टीपीआईईए द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से होने के आधार पर भाग—ब के 50 प्रतिशत ऋण ब्याज सहित पाँच बराबर भागों में अनुदान में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार, वित्तीय स्थिति, धन की कमी व कम्पनी की भारी हानियाँ को ध्यान में रखते हुए यह योजना कम्पनी को आईटी प्रणाली को स्थापित करने व विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार कर एटीएण्डसी हानियाँ को 15 प्रतिशत तक कम करने के साथ—साथ अनुदान का भी लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

योजना को परियोजना (भाग—अ को सितंबर 2012 तक, स्काडा को जनवरी 2015 तक व भाग—ब को जनवरी 2015 तक) की स्वीकृति से तीन वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना

¹ 2001 जनगणना के अनुसार ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या चार लाख से अधिक और वार्षिक ऊर्जा आगम 350 मिलियन यूनिट हो।

था परन्तु इसे भाग—अ के लिए सितंबर 2015, स्काडा के लिए मार्च 2017 तक तथा भाग—ब के लिए जनवरी 2017 तक के लिए बढ़ाया गया। आर—एपीडीआरपी योजना को अब तक (मार्च 2016) पूर्ण नहीं किया गया है। योजना के विवरण दर्शित करने वाला आरेख निम्नवत् हैः—

आर—एपीडीआरपी योजना क्रियान्वयन का आरेख




संगठन संरचना

2.1.3 कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कम्पनी का प्रधान कार्यालय, रायपुर में है। योजना के क्रियान्वयन को देखने के दृष्टिकोण से प्रबंध निदेशक को तीन अंगों के प्रमुखों द्वारा सहायता किया जाता है जो कि मुख्य अभियंता (सीई) ईनर्जी इंफोटेक सेंटर (ईआईटीसी), कार्यकारी निदेशक (ईडी) उप पारेषण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण (एसटीआरई) और कार्यकारी निदेशक (ईडी) वित्त है।

योजना के भाग—अ के कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभियंता (ईआईटीसी) प्रमुख अधिकारी है जिहोंने कार्य को माड़युल में बॉटा तथा प्रत्येक माड़युल का कार्यकारी अभियंता प्रधान है। भाग—ब के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी निदेशक एसटीआरई प्रमुख अधिकारी है जिनके द्वारा प्रत्येक शहरों के लिए परियोजना प्रभारी व सहायक परियोजना प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यकारी निदेशक (वित्त) योजना के समग्र वित्त प्रबन्ध की जाँच करता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी के संगठनात्मक चार्ट निम्नवत् है:

आर—एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी का संगठनात्मक चार्ट



लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि:

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का निर्माण योजना के उद्देश्यों के अनुकूल अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था ;
- योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग मितव्यतापूर्ण, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से किया;
- योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक, मितव्यतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से किया तथा क्या योजना के संभावित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया; तथा
- योजना के कार्यों की कुशलतापूर्वक निगरानी के लिए प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की स्थापना हुई।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन करने के लिए अपनाया गया लेखापरीक्षा मानदण्ड लिया गया है:

- विद्युत अधिनियम, 2003 और पीएफसी व ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा निर्देश;
- निदेशक मण्डल, निगरानी समिति व एसएलडीआरसी के बैठकों के ऐजेण्डा व मिनिट्स; कम्पनी के निगरानी प्रतिवेदन / विवरण—पत्र;
- भारत सरकार, पीएफसी, छत्तीसगढ़ शासन व कम्पनी के चतुर्थपक्षीय समझौता तथा डीपीआर;
- प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी), निविदा दस्तावेज, समझौता प्रपत्र तथा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) दस्तावेज; तथा
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत के वितरण में निष्पादन का मानक) नियमन, 2006 तथा सामान्य वित्तीय नियम 2005,

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.6 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान सम्पादित किया गया। कम्पनी के मुख्यालय में संधारित लेखों तथा भाग—अ के 20 परियोजनाओं के 20 शहरों, स्काडा के दो परियोजनाओं तथा भाग—ब के 19 परियोजनाओं² के लेखों की जाँच की गयी जिससे योजना की 100 प्रतिशत ईकाईयाँ सम्मिलित हो गयी (*अनुलग्नक – 2.1.1*)।

इसके अलावा, 10 परियोजना शहरों का उपभोक्ता सर्वेक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन को जुलाई 2016 में प्रतिवेदित कि गयी तथा 27 अक्टूबर 2016 के निर्गमन सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा विभाग), छत्तीसगढ़ शासन तथा कम्पनी के प्रबंधक निदेशक के साथ प्रतिवेदन पर चर्चा कि गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अंतिमीकरण करते समय शासन का उत्तर एवं निर्गमन सम्मेलन में अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन के द्वारा दिये गये सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकृत करता है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

2.1.7 योजना को सितंबर 2009 में कुल लागत ₹ 873.75 करोड़ से स्वीकृत किया गया जिसमें से भाग—अ (20 परियोजना) के लिए ₹ 122.45 करोड़, स्काडा (दो परियोजना) के लिए ₹ 41.06 करोड़ तथा भाग—ब (19 परियोजना) के लिए ₹ 710.24 करोड़ थे। जिसमें से ₹ 518.63 करोड़³ की राशि शर्तों को परिपूर्ण करने की दशा में योजना के पूर्ण होने पर अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजनाओं पर किये गये खर्च ऊर्जा मंत्रालय के निगरानी समिति के द्वारा डीपीआर के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

31 मार्च 2016 की स्थिति में योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति *तालिका – 2.1.1* में प्रदर्शित है तथा परियोजनावार स्थिति *अनुलग्नक – 2.1.2* में दिया गया है।

² योजना का भाग—ब एक शहर (चिरमीरी) को छोड़कर 19 शहरों में क्रियान्वित की गयी क्योंकि इस शहर की एटीएण्डसी हानि 15 प्रतिशत से कम थी।

³ योजना के भाग—अ के लिए ₹ 122.45 करोड़ (100 प्रतिशत), स्काडा के लिए ₹ 41.06 करोड़ (100 प्रतिशत) और भाग—ब के लिए ₹ 355.12 करोड़ (₹ 710.24 करोड़ का 50 प्रतिशत)।

तालिका – 2.1.1: 31 मार्च 2016 की स्थिति में वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण

योजना का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त निधि	प्रयुक्त निधि	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
भाग—अ	122.45	71.28	84.02	68.62	100
स्काडा	41.06	12.32	2.59	6.31	0
भाग—ब	710.24	551.97	540.46	76.10	83.97
कुल	873.75	635.57	627.07		

(स्रोत: कम्पनी के द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भाग—अ की सभी परियोजनाएं बढ़ायी गयी अवधि सितंबर 2015 तक पूर्ण कर ली गयी तथा स्काडा की दशा में, स्काडा सलाहकार (एसडीसी) को किये गये ₹ 2.59 करोड़ के भुगतान व स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) को मोबीलाइजेशन एडवांस का भुगतान को छोड़कर कोई भी प्रगति नहीं थी। भाग—ब की दशा में, कम्पनी द्वारा ₹ 540.46 करोड़ व्यय करने के बावजूद तथा निधि की उपलब्धता होते हुए भी 83.97 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की जा सकी। इसके अलावा, भाग—अ में प्राप्त राशि से किये गये अधिक व्यय की पूर्ति आंतरिक स्रोत से कि गयी।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

वित्तीय प्रबंधन

2.1.8 निधि के प्रबंधन एवं उपयोग में पायी कमियों को नीचे दर्शाया गया हैं:

कम्पनी के ओवरड्राफ्ट खाते में योजना निधि को जमा करना

2.1.8.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, योजना निधि को योजना के बैंक खाते में रखना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ ₹ 317.33 करोड़ को प्रारंभ में 2013–14 से 2015–16 के दौरान योजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए ओवरड्राफ्ट खाते में जमा किया गया। इसमें से ₹ 306.18 करोड़ व्यय के लिए विभिन्न तिथि में योजना खाते में हस्तांतरित किया गया। स्पष्ट रूप से कम्पनी ने योजना निधि का उपयोग अपने ओवरड्राफ्ट को कम करने के लिए किया। यदि योजना निधि को योजना खाते में रखा गया होता तो ₹ 1.70 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया होता एवं योजना निधि में जमा किया गया होता। इस प्रकार, योजना निधि को अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा करते हुए कम्पनी योजना की लागत से लाभान्वित हुई।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि ओवरड्राफ्ट खाते में रखी हुई निधि काउंटरपार्ट निधि से संबंधित है जिसकी व्यवस्था कम्पनी द्वारा आन्तरिक स्रोतों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर करना था। चूंकि कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का विकल्प चुना था इसलिए इसे ब्याज के भार को कम करने के लिए ओवरड्राफ्ट खाते में जमा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार योजना निधि को योजना खाते में ही जमा करना था। इसके अलावा भाग—ब का सम्पूर्ण ऋण (भारत सरकार का ऋण एवं ब्याज सहित काउंटरपार्ट निधि) का 50 प्रतिशत भी अनुदान में

परिवर्तित होना है इसलिए काउंटरपार्ट निधि के लिए ली गई उधारी को योजना खाते में ही रखना चाहिए जिससे कि योजना पर ब्याज का भार कम हो सके।

तुरन्त आवश्यकता के बिना निधि का आहरण

बिना आवश्यकता के ऋण निधि के आहरण के परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

2.1.8.2 योजना में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पीएफसी/आरईसी से निधि का दावा करती है एवं पीएफसी/आरईसी निधि निर्गमित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की निधि को उसकी आवश्यकता के बहुत पहले ही आहरित किया जा रहा था एवं इसे विभिन्न बैंकों में सावधी जमा में रखा जाता था। 2011–12 से 2014–15 के दौरान ₹ 312.09 करोड़ की योजना निधि को 180 दिन से अधिक समय के लिए सावधी जमा में रखा गया जो प्रदर्शित करता है कि निधि का आहरण इसकी आवश्यकता के बिना किया गया। निधि जो सावधी जमा में रखी गयी थी उसका औसत ब्याज दर 9.08 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी एवं कम्पनी को पीएफसी/आरईसी से आहरित निधि पर 11.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता था। जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने योजना निधि से की गई सावधी जमा पर ₹ 23.24 करोड़ का ब्याज अर्जित किया उसमें से ₹ 2.22 करोड़ योजना खाते में जमा किया गया एवं शेष ₹ 21.02 करोड़ को कम्पनी की आय में जमा किया गया। यह निगरानी समिति के निर्णय (2 जून 2010) कि सावधी जमा से अर्जित ब्याज को योजना खाते में जमा करना है का उल्लंघन था।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि निधि के आहरण का निर्णय योजना के नोडल कार्यालय द्वारा कार्य की गति को बनाये रखने एवं समय पर कार्यपूर्ण करने को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है तथा प्राप्त निधि को वित्तीय संकाय द्वारा निधि के उपयोग होने तक कम अवधि के लिए सावधी जमा में रख जाता था। शासन ने पुनः कहा कि भारत सरकार के ऋण/अनुदान पर अर्जित किये हुए ब्याज को यदि पीएफसी माँगेगा तो उसका अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नोडल कार्यालय एवं वित्तीय संकाय में सामंजस्य के अभाव में नोडल कार्यालय कम्पनी की वित्तीय संकाय द्वारा की गई सावधी जमा में उपलब्ध योजना निधि को ध्यान में रखे बिना आहरण करती है। इसके अलावा योजना निधि से अर्जित ब्याज को कम्पनी की स्वंय की आय में जमा करना भी उचित नहीं है क्योंकि यह निगरानी समिति के निर्णय का उल्लंघन है।

सुविधा प्रबंधन सेवा लागत का अनुदान में परिवर्तन

2.1.8.3 भाग–अ परियोजनाओं के डीपीआर के अनुसार, सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस)⁴ की लागत को आर–एपीडीआरपी के अनतर्गत सम्मिलित डीपीआर परियोजना की स्वीकृति के तीन वर्षों (भाग–अ परियोजनाओं के लिए निर्धारित पूर्णता अवधि) के भीतर परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए लागत के रूप में ध्यान में रखा जायेगा। इस अवधि के बाद, कम्पनी को एफएमएस लागत को अपनी आयगत व्यय के रूप में वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार, डीपीआर स्वीकृति के तीन वर्ष बाद एफएमएस लागत के रूप में किये गये व्यय ऋण के भाग के रूप में अनुदान में परिवर्तनीय नहीं थे। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों की निर्धारित पूर्णता अवधि को बढ़ा कर 6 वर्ष सितंबर 2015 तक के लिए कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने भाग–अ के डीपीआर में एक वर्ष की एफएमएस लागत को यह मानते हुए सम्मिलित किया कि परियोजना निर्धारित पूर्णता अवधि से

⁴ कम्पनी को इच्छित उद्देश्यों के प्राप्ति में समर्थ होने के लिए आईटीआईए द्वारा स्थापित आईटी प्रणाली को संचालित कर एफएमएस सेवा प्रदत्त करना था।

पहले ही एक वर्ष में ही पूर्ण हो जायेगी। जबकि कम्पनी ने छः परियोजनाओं⁵ को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण नहीं कर सका जैसा कि एफएमएस लागत को अनुदान में परिवर्तन करने के लिए परियोजित किया गया था। इस प्रकार, इन परियोजनाओं की एफएमएस लागत ₹ 4.03 करोड़ को कम्पनी द्वारा अपने आयगत व्यय के रूप में बहन करना होगा।

परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब होने का मुख्य कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन संस्था (आईटीआईए) के साथ अनुबंध के अंतिमीकरण में विलंब, भाग-अ के क्षेत्रिय गतिविधियों के प्रारम्भ में विलंब तथा आईटीआईए के द्वारा अनुसूची के अनुसार परियोजना के विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन में विफलता थे जैसा कि कंडिका 2.1.10.2 में चर्चा कि गयी है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी पीएफसी के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को परियोजना के समाप्ति पर अंतिम डीपीआर जमा करते हुए एफएमएस के एक वर्ष की लागत को जैसा कि मूल डीपीआर में उल्लेखित है ध्यान में रखने के लिए प्रयास कर रही है।

त्वरित विद्युत विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रम की निधि

2.1.8.4 त्वरित विद्युत विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रम (एपीडीआरपी) एक योजना थी जिसे एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करने के समान उद्देश्य के साथ 2002 से 2009 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यान्वित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 7.58 करोड़ एपीडीआरपी की निधि आर-एपीडीआरपी के लिए उपयोग किया गया परन्तु डीपीआर जमा करते समय आर-एपीडीआरपी की योजना की लागत से इसे कम नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय संकाय द्वारा एपीडीआरपी के अधिन अनुपयोगी उपलब्ध राशि की जानकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल आफिस जैसे कि एसटीआरई एवं ईआईटीसी संकाय को नहीं दी गई। जिसके परिणामस्वरूप ऋण अधिक स्वीकृत हुआ एवं योजना की लागत ₹ 7.58 करोड़ से बढ़ गई।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि इसे पीएफसी को 27 फरवरी 2016 को सूचित किया गया है।

तथ्य यह रहा कि एपीडीआरपी योजना की अनुपयोगी निधि को आर-एपीडीआरपी की लागत में समायोजित नहीं किया गया जिसके कारण अधिक ऋण स्वीकृत हुआ।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का लागत में भिन्नता के लिए दिशा निर्देश

2.1.8.5 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य की अलग-अलग मदों की मात्रा में परिवर्तन आदेशित बिल की मात्रा (बीओक्यू) में +/- 20 प्रतिशत जो कि आदेशित लागत के + 10 प्रतिशत तक हो एवं आशय पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर एसएलडीआरसी से अनुमोदित हो को स्वीकार करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के भाग-अ के तहत कम्पनी ने आईटीआई को सर्वर, डाटा कांसेन्ट्रेटर, मोडेम एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वे के लिए ₹ 4.80 करोड़ (आदेशित लागत का 4.19 प्रतिशत) की लागत का अतिरिक्त आदेश (22 अप्रैल 2013 एवं 20 मई 2013) दिया। यद्यपि, कम्पनी ने न तो एसएलडीआर से अनुमोदन लिया न ही अभी तक (31 मार्च 2016) पीएफसी को प्रस्तुत किया। इस प्रकार

⁵ नैला जॉन्जगीर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग- भिलाई नगर, रायपुर व बिलासपुर।

एसएलडीआरसी से अनुमोदन लेने में विफल होने के कारण ₹ 5.72 करोड़⁶ की अतिरिक्त लागत अनुदान में परिवर्तन योग्य नहीं है।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान पीएफसी/एमओपी ने कम्पनी को निर्देश दिया कि बीओक्यू की 20 प्रतिशत की सीमा या लागत की 10 प्रतिशत की सीमा के अन्दर कोई परिवर्तन होता है तो परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा। तदोपरान्त परियोजना का समापन के लिए संशोधित डीपीआर पीएफसी को प्रस्तुत (अगस्त 2016) किया गया। समापन की ओपचारिक स्वीकृती अभी तक (नवम्बर 2016) प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीएफसी के इस प्रकार के निर्देश से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा द्वारा मांगा गया जिसे प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, दिशा निर्देश के अनुसार, मात्रा एवं लागत में परिवर्तन को आशय पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना था एवं कम्पनी ऐसा करने में विफल रहीं।

परियोजनावार पृथक लेखा/उपलेखा शीर्ष

2.1.8.6 चतुर्थपक्षीय अनुबंध⁷ के वाक्य 12(ब) में अलग से लेखा वर्गीकरण के लिए परियोजनावार पृथक लेखा/उप-लेखा शीर्ष प्रारंभ करना उल्लेखित है जिससे कि उचित लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन के लिए 41 परियोजना (भाग—अ—20, स्काडा—2 एवं भाग—ब—19) स्वीकृत हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार निधि की प्राप्ति एवं उसके उपयोग का पता लगाने एवं निरीक्षण के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से लेखा/उप-लेखा शीर्ष रखना था। कम्पनी ने केवल दो लेखा शीर्ष एक भाग—अ के लिए एवं दूसरा भाग—ब के लिए खोला। जिसके परिणमस्वरूप योजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ एवं एक परियोजना से दूसरे परियोजना में निधि का व्यपवर्तन को जानने का कोई रचना तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि भाग—अ परियोजना की मासिक प्रगति प्रतिवेदन में कम्पनी ने परियोजनावार निधि के उपयोग को नहीं दिखाया।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि एसएपी में लेखांकन प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक ही जीएल कोड संधारित किया गया। शासन ने पुनः कहा कि एसएपी से परियोजनावार किया गया व्यय निकाला जा सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परियोजनावार अलग—अलग लेखा उपलेखा शीर्ष खोलना है। इसके अलावा, परियोजनावार अलग—अलग लेखा शीर्ष के अभाव में कम्पनी अभी तक (नवम्बर 2016) परियोजनावार व्यय की गणना करने में असफल रही।

उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना

2.1.8.7 पीएफसी ने कम्पनी को निर्देशित किया (22 अप्रैल 2010) कि सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 226 (2) के परिपालन में वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण लिया

⁶ ₹ 4.16 करोड़ ऋण एवं उस पर 9 प्रतिशत की दर से 30 माह का ब्याज ₹ 0.92 करोड़ (10 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2016) + ₹ 0.64 करोड़ ऋण, ब्याज नहीं लिया गया क्योंकि अभी तक (मार्च 2016) भुगतान नहीं हुआ था।

⁷ भारत सरकार, पीएफसी, छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के मध्य छत्तीसगढ़ में आर—एपीडीआरपी के क्रियान्वयन के लिए चतुर्थपक्षीय अनुबंध निष्पादित (18 मार्च 2010) हुआ।

गया की समाप्ति से 18 माह के अन्दर जीएफआर प्रपत्र 19 ब में अंकेक्षक से प्रमाणित सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना था।

पीएफसी ने भाग—अ के लिए वर्ष 2009–10 एवं 2013–14 में क्रमशः ₹ 36.74 करोड़ एवं ₹ 34.54 करोड़, स्काडा के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 12.32 करोड़ तथा भाग—ब के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 106.53 करोड़ का भारत सरकार का ऋण दिया। भाग—अ के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 एवं 2013–14 के दौरान दिये गये ऋण के लिए क्रमशः 24 माह एवं पाँच माह के विलम्ब से उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना अंकेक्षक के प्रमाणित किये जमा किया गया। स्काडा के मामले में पीएफसी को अभी तक (मार्च 2016) उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया है।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी जीएफआर नियम एवं अंकेक्षक द्वारा जाँच किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने को सुनिश्चित करेगी।

वित्तीय प्रबंधन पर उपरोक्त कमियों पर ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ चर्चा (जनवरी 2017) की गई जिन्होंने आश्वस्त किया कि कम्पनी अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए योजना के दिशा निर्देश के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

योजना का क्रियान्वयन

2.1.9 लेखापरीक्षा उद्देश्य के अनुसार आपत्तियाँ की चर्चा योजना के भाग —अ (आईटी समर्थ प्रणाली व स्काडा) व भाग —ब के तहत अलग—अलग आगामी कंडिकाओं में की गई है।

भाग—अ—आईटी समर्थ प्रणाली

2.1.10 योजना के भाग—अ में बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी को अपनाना तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र सम्मिलित है। योजना के भाग—अ में 17 माड्युल हैं।

योजना का यह भाग ₹ 122.45 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ 20 शहरों में क्रियान्वित किया गया जिसमें से पीएफसी द्वारा कम्पनी को ₹ 71.28 करोड़ की राशि प्रदान कि गयी तथा मार्च 2016 तक ₹ 84.02 करोड़ (आंतरिक स्त्रोत से किये गये ₹ 12.74 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) खर्च किये गये। स्वीकृत लागत का शहरवार ब्यौरा, निधि की प्राप्ति व परियोजनाओं का कुल व्यय **अनुलग्नक — 2.1.2** में दिया गया है।

आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना आईटीआईए द्वारा कार्य आदेश (28 मार्च 2012) की तिथि से 18 माह के भीतर किया जाना था। जबकि आईटीआईए ने अगस्त 2015 तक कार्य पूर्ण करने में तीन वर्ष से अधिक समय लिया। आईटी समर्थ प्रणाली में कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में गयी है।

परियोजनाओं के 'गो—लाइव' की घोषणा

2.1.10.1 एसआरएस के अनुसार, आईटी समर्थ—प्रणाली की स्थापना व मानव दखल रहित एटीएण्डसी हानि प्रतिवेदन ऑनलाइन प्राप्त होने पर परियोजना शहर को गो—लाइव घोषित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को सितंबर 2015 तक पूर्ण किये जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कम्पनी ने जून 2013 से अगस्त 2015 के दौरान सभी 20 शहरों को सभी दृष्टिकोण से गो—लाइव घोषित किया और इसकी सूचना पीएफसी को दी। इसमें मार्च 2015 तक गो—लाइव घोषित 16 शहर (बिलासपुर, रायपुर,

मीटर आंकड़े
अभिग्रहण प्रणाली
माड्युल व ग्राहक
संतुष्टि सेवा के
कार्यरत हुये बिना
ही 20 परियोजना
शहरों में से 16
शहरों को
गो—लाइव घोषित
किये गये थे।

रायगढ़ व दुर्ग-भिलाई— चरौदा को छोड़कर) सम्मिलित है। जबकि इन शहरों को गो—लाइव घोषित करते समय मीटर आंकड़े अभिग्रहण प्रणाली (एमडीएएस) माड्युल कार्यरत नहीं थें जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इस माड्युल द्वारा कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गो—लाइव घोषित 12 शहरों में ग्राहक संतुष्टि सेवा (सीसीएस) माड्युल इन शहरों को गो—लाइव घोषित किये जाने की तिथि से एक से 15 महीनों के व्यतित होने के बाद कार्य करने प्रारम्भ किये।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि प्रारम्भ में एमडीएएस रिपोर्ट सर्वर में कुछ समस्या थी जिसे बाद में सुधार लिया गया और अब माड्युल से सभी प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। शासन ने आगे बताया कि सीसीएस माड्युल के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी रायपुर में कंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की तथा आर—एपीडीआरपी के सभी शहरों में फ्युज ऑफ काल सेंटर (एफओसी)⁸ और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध करने के बाद ही शहरों को गो—लाइव घोषित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शहरों को गो—लाइव घोषित करते समय एमडीएएस माड्युल से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा था और सीसीएस माड्युल ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था।

योजना के भाग—अ का क्रियान्वयन

2.1.10.2 योजना के भाग—अ के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी को सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार (आईटीसी) की नियुक्ति पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध सलाहकारों में से करनी थी। डीपीआर बनाने व कार्यों के प्रगति की निगरानी के लिए आईटीसी उत्तरदायी था। इसके अलावा, आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना के लिए एक आईटीआईए की नियुक्ति पीएफसी द्वारा सूचीबद्ध फर्मों में से करनी थी।

योजना के सुस्त क्रियान्वयन के उदाहरणों पर चर्चा निम्नानुसार कि गयी है:

- आरएफपी के अनुसार, आईटीसी का चयन आईटी सलाहकारों की सूची (9 जनवरी 2009) से 15 से 25 दिनों के भीतर पूर्ण करना था अर्थात् अंतिम रूप से 4 फरवरी 2009 तक जबकि, कम्पनी ने आईटीसी का चयन 116 दिनों का विलंब होने के उपरांत 30 मई 2009 को किया।

शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि प्रारूप आरएफपी में कमियों के कारण तथा 'आचार संहिता' लागू होने से निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने तथा इसको खोलने में विलंब हुआ जिसके कारण आईटीसी की नियुक्ति विलंब से हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने 27 जनवरी 2009 को सूचित किया था कि आरएफपी को संशोधित किया जा सकता है। जबकि कम्पनी ने संशोधित आरएफपी ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया था। एक माह से अधिक समय हो जाने के बाद पुराने आरएफपी को आधार बनाकर निविदा आमंत्रण सूचना जारी कि गयी। यद्यपि, कम्पनी ने इस विषय पर ऊर्जा मंत्रालय से तुरन्त संपर्क किया होता तो प्रक्रिया निर्धारित समय अवधि के भीतर तथा 5 मार्च 2009 से प्रभावी आचार संहिता के पूर्व ही पूर्ण किया जा सकता था।

- डीपीआर के अनुसार, आईटीआईए के चयन की प्रक्रिया, डीपीआर की स्वीकृति (4 सितम्बर 2009) से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना था परन्तु प्रथम आईटीआईए (मेसर्स केएलजी सिस्टल) का चयन सात महीनों के विलंब के बाद 15 नवम्बर 2010 को किया गया। कार्य के क्रियान्वयन में कभी के कारण प्रथम आईटीआईए की सेवाएं

⁸ एफओसी अर्थात् ऐसा केन्द्र जहाँ पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं।

समाप्त करने के बाद नये आईटीआईए के चयन के लिए 18 अक्टूबर 2011 को निविदा आमंत्रण सूचना जारी कि गयी। चयन प्रक्रिया तीन महीनों के (17 जनवरी 2012) भीतर पूर्ण किया जाना था परन्तु यह 28 मार्च 2012 को पूर्ण किया गया। अतः नये आईटीआईए (मेसर्स रिलायंस इन्फास्ट्रक्चर) का चयन दो माह से अधिक विलंब होने पर किया गया।

- फास्ट ट्रैक टाउन⁹ व पायलट टाउन¹⁰ का कार्य आईटीआईए ने निर्धारित पूर्ण होने की तारीख (मार्च 2013) से क्रमशः 3 व 28 माह के विलंब से जून 2013 तथा अगस्त 2015 को पूर्ण किया। शेष 18 शहरों में परियोजना के कार्य निर्धारित पूर्ण होने की तारीख (सितम्बर 2013) से एक से 21 माह की सीमा से विलंबित होकर जून 2015 तक पूर्ण हुए। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब का मुख्य कारण आईटीआईए के साथ अनुबंध के अंतिमीकरण में विलंब, कार्य क्षेत्र की क्रियाकलापों के प्रारम्भ होने में विलंब और अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों के क्रियान्वयन में आईटीआईए की ओर से विलंब थे।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब से योजना के संभावित लाभों यथा एटीएण्डसी हानियों की कमी, विद्युत रुकावटों व बाधाओं में कमी, उपभोक्ता सेवा संतुष्टि में वृद्धि इत्यादि की प्राप्ति में विलंब हुआ।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि भाग-अ की परियोजनाओं में 20 शहरों में फैले अधिक समय लगने वाले कार्य सम्पत्ति है। शासन ने आगे बताया कि ऐसी बड़ी परियोजना को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय कम होने के कारण भारत सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि को सभी राज्यों के लिए 36 महीनों से 60 महीनों तक के लिए बढ़ा दी थी।

यह तथ्य अभी भी विद्यमान है कि कम्पनी ने परियोजना के प्रत्येक स्तर यथा आईटीसी/आईटीआईए के चयन, कार्य के क्रियान्वयन में अत्याधिक समय लिया जिससे परियोजना को पूर्ण करने में विलंब हुआ।

ऊर्जा ऑकड़ों का संचरण

2.1.10.3 एसआरएस के अनुसार, ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन मानव दखल रहित मॉडम के माध्यम से डाटा लेते हुए एक स्वचालित तरीके से अभिग्रहित होनी चाहिए। तदानुसार, योजना में ऊर्जा ऑकड़े सत्रत तौर पर अभिग्रहित करने के लिए प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) और फीडर में मीटर, मॉडेम व जीपीआरएस सिम¹¹ की स्थापना का प्रावधान किया गया। उक्त विषय पर लेखापरीक्षा की निम्नांकित आपत्तियाँ हैं:

- भाग-अ के तहत, डीटीआर पर 9612 मॉडेम लगाये गये तथा फीडरों पर 749 मॉडेम लागये। जिसमें से मार्च 2016 तक सिर्फ 2792 डीटीआर मॉडेम व 448 फीडर मॉडेम से ही ऊर्जा ऑकड़ों का संचार किया जा रहा था। 20 परियोजना शहरों में डीटीआर से सफलतापूर्वक ऊर्जा ऑकड़े संचार करने वाले मॉडेम का प्रतिशत 11.43 प्रतिशत से 67.39 प्रतिशत की सीमा के बीच रहा तथा 17 शहरों में फीडरों से सफलतापूर्वक ऊर्जा ऑकड़े प्रेषित करने वाले मॉडेम का प्रतिशत 0 प्रतिशत से 85.71 प्रतिशत के बीच रहा तथा शेष तीन शहरों में 100 प्रतिशत था। मॉडेमों के कार्यरत नहीं रहने के मुख्य कारण

⁹ कार्य तेजी से पूर्ण करने के लिए फास्ट ट्रैक टाउन के रूप में भाटापारा का चयन छोटा तथा डाटा केन्द्र के साथ –साथ मुख्यालय के भी पास होने के कारण किया गया।

¹⁰ प्रारूप आरएफपी के अनुसार, वह शहर जहाँ डाटा सेंटर स्थित हो पायलट टाउन (रायपुर) के रूप में माना जाना था।

¹¹ सबक्राइबर आईडेंटिटी माड्युल।

डीटीआर व मीटरों के बीच जुड़ाव की समस्या, तारों में त्रुटियाँ, तीन फेस विद्युत आपूर्ति में रुकावट, मॉडेम के एंटिना का कार्य न करना तथा नेटवर्क की समस्या थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने मजबूरी में लिखित प्रवृष्टि के माध्यम से ऊर्जा ऑकड़ों की कमी को पूरा किया जिससे योजना का मूल उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण में मानव दखल का उन्मूलन असफल रहा।



(रायपुर शहर के वितरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित मॉडेम)

- भाग—ब के तहत, नये डीटीआर पर ₹ 2.76 करोड़ की लागत से 3768 मॉडेम स्थापित (मार्च 2016) किये गये परन्तु उनमें सिम स्थापित नहीं किये गये क्योंकि मॉडेम में सिम की स्थापना कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की लागत से स्थापित मॉडेम बेकार पड़े हुए हैं जिससे इन मॉडेमों को स्थापित करने का उद्देश्य असफल हुआ।
- एसआरएस के अनुसार, प्रणाली में एटीएण्डसी हानियाँ, वाणिज्यिक हानियाँ, हाई टेंशन (एचटी) हानियाँ, बस बार हानियाँ, सब-स्टेशन हानियाँ, डीटीआर हानियाँ तथा फीडर हानियाँ की गणना होनी थी। जबकि लेखापरीक्षा ने पाया कि मॉडेम द्वारा आँकड़ों के संचार में कमी, मॉडेम में सिम की अनुपलब्धता, अपूर्ण उपभोक्ता सूचीकरण तथा पूर्ण आँकड़ों के अभाव के कारण गणनित एटीएण्डसी हानियाँ विश्वसनीय नहीं थे।

शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि कम्पनी समय पर समस्याओं को हल करके मीटर आँकड़ों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रही है एवं त्रुटियाँ जब और जहाँ सूचना में आती हैं तो क्षेत्र ईकाइयों द्वारा उन्हें सुधार किया जाता है। शासन ने आगे बताया कि कम्पनी नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के मामले को आईटीआईए के साथ लगातार उठाती रही है एवं मॉडमों में सिम की स्थापना के लिए सतत प्रयास कर रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी मॉडमों में सिमों की स्थापना तथा समस्याओं के निराकरण करने में असफल रही जिसके कारण डीटीआर और फीडरों से ऊर्जा आँकड़ों के संचार में कमी हुई इससे मानव दखल रहित ऊर्जा लेखांकन के उद्देश्य असफल हुआ।

ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल का क्रियान्वयन

2.1.10.4 एसआरएस के अनुसार सीसीएस माड्युल का उद्देश्य ग्राहकों के अनुरोधों/प्रश्नों/समस्याओं को यथासंभव कम से कम समय¹² लेकर तथा इसे उचित स्थान व स्तर में ले जाकर हल करना जिससे ग्राहक सेवा में सुधार हो।

माड्युल के क्रियाकलाप में निम्नांकित कमियाँ पायी गयी:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सीसीएस माड्युल में, शहरों के कार्यालयों के लेखों में रजिस्टर्ड सभी विद्युत समस्याओं की प्रवृष्टि नहीं कि गयी थी तथा 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्रमशः पॉच व 13 शहरों में सीसीएस माड्युल में दर्ज किये गये विद्युत समस्याओं तथा शहरों के लेखों में दर्ज विद्युत समस्याओं के बीच 48312 और 63174 का अन्तर था। यह दर्शाता है कि क्षेत्र स्तर में सीसीएस माड्युल का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं था।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि शहरों के विद्युत सुधार केन्द्रों (एफओसी) पर कम्प्युटर शिक्षित आपरेटरों की अनुलब्धता के कारण सभी शिकायते सीसीएस माड्युल में दर्ज नहीं हो सकी। जिसके कारण अन्तर उत्पन्न हुआ। शासन का उत्तर यह अभिपुष्ट करता है कि कम्पनी सीसीएस माड्युल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रबंध करने में असफल रही।

- एसआरएस के अनुसार, माड्युल में यह देखने के लिए कि शिकायते हल की गयी है या नहीं, उपभोक्ता प्रतिपुष्टि प्रणाली सम्मिलित करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीसीएस माड्युल में, शिकायतों के निवारण पर उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं द्वारा बारंबार उसी शिकायत को पुनः दर्ज किये जा रहे थे क्योंकि इनका निराकरण नहीं किया गया था। जबकि ये शिकायतें सीसीएस माड्युल में निराकृत दिखायी जा रही थी। प्रतिपुष्टि प्रणाली के अभाव में, कम्पनी यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थी कि शिकायतों का वास्तविकता में निराकरण कर दिया गया है या नहीं।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि केन्द्रीयकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्र के आपरेटर द्वारा शिकायतों का 10 प्रतिशत प्रतिपुष्टि उपभोक्ताओं से प्राप्त की गयी। शासन ने आगे बताया कि क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को एसआरएस में विशेष रूप से उल्लेखित सीसीएस माड्युल के माध्यम से प्रतिपुष्टि लेने में समर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा, शिकायतों के 10 प्रतिशत की प्रतिपुष्टि भी केन्द्रीयकृत सेवा केन्द्र से प्राप्त की जा रही है न कि एफओसी से प्राप्त कि जा रही थी।

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के मानक के अनुसार तकनीकी शिकायतों¹³ का निवारण चार घण्टों के भीतर किये जाने थे। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के दौरान, चार¹⁴ परियोजना शहरों के तकनीकी

¹² सीएसईआरसी (विद्युत के वितरण में निष्पादन के मानक) नियमन 2006 की अनुसुची-I के अनुसार, निर्धारित समय जो कि विद्युत में रुकावट की समस्याओं के निराकरण के लिए चार घण्टे था।

¹³ विद्युत आपूर्ति में विफलता, वोल्टेज उतार-चढ़ाव, ट्रांसफार्मर व लाइन से संबंधित शिकायतों को तकनीकी शिकायतों में सम्मिलित किया जाता है।

¹⁴ भाटापारा, नैला-जॉजगीर, धमतरी और महासमुद।

शिकायते 51 से 100 प्रतिशत की सीमा के बीच तथा 2015–16 के दौरान नौ¹⁵ शहरों में तकनीकी शिकायतें 56.72 से 98.85 प्रतिशत की सीमा के बीच सीएसईआरसी की अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत नहीं किये गये थे। अतः तकनीकी शिकायतों के निवारण करने में विलंब के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के सेवा में कमी हुई जिसके कारण उपभोक्ताओं के असंतोष में वृद्धि हुई।

शासन ने उत्तर (नवंबर 2016) दिया कि तकनीकी शिकायतें सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत किये गये थे, किन्तु इनकी प्रवृष्टि उचित समय पर सीसीएस माड्युल में नहीं कि जा सकी क्योंकि एफओसी पर कम्प्युटर प्रशिक्षित आपरेटर की उपलब्धता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि कम्पनी द्वारा पीएफसी को प्रतिवेदित किया गया है कि सभी तकनीकी शिकायतें सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित समय सीमा के भीतर निराकृत नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा उपभोक्ता सर्वेक्षण किये जाने के दौरान यह पाया गया कि 500 में से 305 सर्वेक्षित उपभोक्ता (61 प्रतिशत) अपनी शिकायतों प्रश्नों और अन्य बिलों से संबंधित समस्याओं को सीसीएस माड्युल में दर्ज करने के लिए आनलाइन या टेलीफोन सुविधा का उपयोग सुविधाओं के पर्याप्त जानकारी के अभाव में नहीं कर रहे थे (अनुलग्नक – 2.1.3)।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2016) कि कम्पनी ने उपलब्ध सुविधाओं को उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया जिससे कि उपभोक्ताओं द्वारा आईटी समर्थ सुविधाओं का उपयोग प्रारंभ किया जाये।

इसके अलावा, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग के साथ कम्पनी द्वारा उपभोक्ता अनुभव/संतुष्टि में सुधार के लिए उठाये गये कदम के विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान उन्होंने बताया कि कम्पनी ने उपभोक्ता शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए सभी शहरों में एफओसी की स्थापना की है और उपभोक्ता केन्द्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र के सहायता नम्बर 1912 में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल में फीडर ट्रिपिंग्स का अभिलेखित किया जाना

2.1.10.5 अनुरक्षण प्रबंधन (एमएम) माड्युल विभिन्न अनुरक्षण गतिविधियों के बेहतर योजना व समन्वयन, निवारक व आगामी अनुरक्षण के तरीके को अपनाकर ब्रेकडाऊन को कम करना, समय पर निर्णय लेने के लिए अनुरक्षण इतिहास व प्रबंधन को अभिपुष्टि के लेखा के लिए एक प्रणाली का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान शहर कार्यालयों में क्रमशः 30999 व 28713 फीडर ट्रिपिंग्स रिकार्ड किये गये जबकि एमएम माड्युल में इसके विपरीत सिर्फ 996 व 1935 फीडर ट्रिपिंग्स रिकार्ड किये गये। यह दर्शाता है कि क्षेत्र कार्यालयों द्वारा एमएम माड्युल में सभी ट्रिपिंग्स के प्रविष्टियाँ नहीं कि गयी थीं। इस प्रकार, एमएम माड्युल का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि क्षेत्र कर्मचारियों को आवश्यक निर्देशों के साथ–साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे कि प्रत्येक रुकावटों/ट्रिपिंग्स की प्रणाली में प्रविष्टि सुनिश्चित हो अतः इससे भविष्य में आँकड़ों की त्रुटियों को रोका जा सके।

¹⁵ भाटापारा, महासमुंद, मुंगेली, चाम्पा, धमतरी, अम्बिकापुर, कोरबा, नैला–जाँजगीर और रायगढ़।

बिलिंग माड्युल के अधीन वाणिज्यिक शिकायतें

2.1.10.6 बिलिंग माड्युल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम्पनी कुशलतापूर्वक प्रदाय सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं को बिल प्रदत्त करें और उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों का निवारण सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित सात दिनों के समय सीमा¹⁶ के अवधि के भीतर करें।

उपरोक्त संबंध में लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ निम्नांकित हैं:

- सितंबर 2013 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, बिलिंग माड्युल में दर्ज 11543 शिकायतों¹⁷ में से 5478 शिकायतें सात दिनों की निर्धारित समय सीमा में निराकृत कर दिये गये थे। शेष 6065 शिकायतें (53 प्रतिशत) आठ से 562 दिनों के विलंब से निराकृत की गयी। इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा से परे शिकायतों के निराकृत करने की प्रवृत्ति कमी को दर्शाती है जो कि 2013–14 में 93 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 40 प्रतिशत पर आ गई। इस प्रकार, यद्यपि शिकायत का निराकरण करने में विलंब कम हुआ है फिर भी यह ज्यादा है। शिकायतों का निराकरण करने में विलंब से उपभोक्ता असंतुष्टि में वृद्धि हो सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब के बावजूद, शासन व सीएसईआरसी की ओर से कम्पनी को शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि कर्मचारियों को शिकायतों का निवारण व बंद करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। शासन ने आगे बताया कि क्षेत्र कर्मचारियों को सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य करने की सलाह नियमित रूप से दी जाती है।

- उपभोक्ता सर्वेक्षण (मई 2016) के दौरान 500 में से 82 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं (16 प्रतिशत) द्वारा यह शिकायत कि गयी कि उनके मीटर की गणना नियमित रूप से नहीं ली जा रही है तथा उन्हें ऊर्जा प्रभार औसत उपभोग के आधार पर मिला है। इसके अलावा, 47 उपभोक्ताओं (9 प्रतिशत) द्वारा शिकायत कि गयी कि उन्हें बिजली बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था (**अनुलग्नक – 2.1.3**)।

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने उक्त विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान बताया कि कम्पनी ने सभी शहरों (अंबिकापुर व जगदलपुर को छोड़कर) में मीटर गणना की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रारंभिक तौर पर स्पाट बिलिंग फोटो के साथ को प्रारंभ (मार्च 2016) किया है।

यह तथ्य विद्यमान है कि स्पाट बिलिंग फोटो के साथ सभी शहरों में जनवरी 2017 तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हुई थी और लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षित 16 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर गणना से संबंधित समस्या थी। इस प्रकार, कम्पनी को उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियमित रूप से मीटरों की गणना तथा सटीक बिलिंग हो।

उपभोक्ता सूचीकरण की पूर्णता

2.1.10.7 दखलरहित स्वचालित तरीके से ऊर्जा लेखांकन के लिए एसआरएस उपभोक्ताओं का सूचीकरण अनुबंधित करता है जो कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से उपभोक्ता डाटाबेस तैयार करके किया जाना था। भाग-अ का डीपीआर यह

¹⁶ सीएसईआरसी (विद्युत वितरण में निष्पादन का मानक) नियमन 2006 की अनुसूची-1 के अनुसार, बिलों से संबंधित शिकायतों के लिए निर्धारित समय सीमा जो कि सात दिन है।

¹⁷ बिजली बिल की प्राप्ति न होना, मीटर गणना न होना, भुगतानों को अद्यतन न करना, गलत टैरिफ बिल संग्रहित होना, बंद खराब / जले मीटर, उच्च उपभोग इत्यादि।

प्रावधान करता है कि कम्पनी को आईटीआईए के साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली/प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे कि भविष्य में उपभोक्ता डाटाबेस को नियमित तौर पर वृद्धि/अद्यतन किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2016 तक कम्पनी ने 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 7.52 लाख (79.07 प्रतिशत) उपभोक्ताओं की सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, 1.99 लाख (20.93 प्रतिशत) उपभोक्ताओं के सूचीकरण की कमी रही। इसका कारण नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस के अद्यतन के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया विकसित न किया जाना था। परिणामतः योजना का प्रारंभिक उद्देश्य दखल रहित स्वचालित तरीके से ऊर्जा लेखांकन असफल हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2016) कि शेष उपभोक्ताओं का सूचीकरण दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। इसके अलावा, इस विषय पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने बताया कि कम्पनी उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत सूचीकरण करने के लिए प्रयास कर रही है।

तथ्य विद्यमान है कि डाटाबेस में नये उपभोक्ताओं के ऑकड़े नियमित तौर पर अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित न होने के कारण उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत सूचीकरण हासिल नहीं किये जा सके।

नये सर्विस कनेक्शन माड्युल की उपयोगिता

2.1.10.8 नये सर्विस कनेक्शन (एनएससी) माड्युल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधाओं का विस्तार करना है। यह उपभोक्ताओं को आनलाइन आवेदन प्राप्त व जमा करने में समर्थ बनाने के साथ आवेदन की स्थिति प्राप्त करने की सुविधा भी देता है। यह व्यवस्था नये कनेक्शन प्रक्रिया में लगने वाले समय को आनलाइन तंत्र के माध्यम से कम करने में मदद करता है।

लेखापरीक्षा ने माड्युल के कार्यप्रणाली में निम्नांकित कमियाँ पायी :

- एनएससी माड्युल में नये कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया¹⁸ आनलाइन प्रणाली के माध्यम से करनी थी। 2015–16 के दौरान कम्पनी द्वारा 72589 नये सर्विस कनेक्शन जारी किये गये। इनमें से 55895 कनेक्शन एनएससी माड्युल के माध्यम से प्रदत्त किये तथा 16694 (23 प्रतिशत) कनेक्शन एनएससी माड्युल के क्रियान्वयन के बाद भी बिना माड्युल दिये गये। जिससे यह दर्शित होता है कि एनएससी माड्युल का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ
- माड्युल उपभोक्ता द्वारा नये सर्विस कनेक्शन के लिए आनलाइन आवेदन का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2013 से मार्च 2016 के दौरान 117204 नये उपभोक्ताओं में से सिर्फ 49 उपभोक्ताओं ने नये सर्विस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। नये कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन न करने का तथ्य की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा किये गये उपभोक्ता सर्वेक्षण से भी होती है ([अनुलग्नक – 2.1.3](#))। यह दर्शित करता है कि नये सर्विस कनेक्शन के लिए उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन सुविधा के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की जरूरत है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि क्षेत्र कार्यालयों को एनएससी के माध्यम से नये सर्विस कनेक्शन देने तथा लोगों को एनएससी माड्युल के संबंध में जागरूक करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

¹⁸ जैसे कि आवेदन पत्र स्वीकार करना, ग्राहकों के विवरण स्वीकारना, कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रणाली क्षमता की जॉच, निरीक्षण प्रतिवेदन का बनाना, प्राकलन बनाना तथा सर्विस आदेश बनाना।

भाग—अ व भाग—ब के कार्यों का समन्वयन

2.1.10.9 लेखापरीक्षा ने पाया कि चार शहर मनेन्द्रगढ़, मुंगेली, जगदलपुर व नैला—जाँजगीर के भाग—ब के कार्य¹⁹ पूर्ण होने के बाद इन शहरों को गो—लाइव (भाग—अ) घोषित करने में क्रमशः 56, 80, 100 तथा 336 दिनों का विलंब हुआ। भाग—अ के कार्यों को भाग—ब के कार्य पूर्ण होने से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए था ताकि योजना के भाग—ब के अधीन स्थापित किये गये सब स्टेशन, फीडरों व डीटीआर से मीटर डाटा तथा जीआईएस में सम्पत्तियों को मैप किया जा सके। उपरोक्त शहरों में भाग—अ व भाग—ब के कार्यों में समन्वयन न होने के कारण कम्पनी भाग—अ के लाभों से विलंब की अवधि तक वंचित रही।

शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि कार्यक्षेत्रों की दशाओं के अनुसार कार्य निष्पादित किये गये तथा भविष्य में ऐसा विलंब न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।

जोन कार्यालय भवनों का कार्य प्रदान करना

2.1.10.10 कम्पनी ने योजना के अनतर्गत 19 जोन कार्यालय भवन बनाने का निर्णय



(रायगढ़ शहर का अपूर्ण जोन कार्यालय भवन)

(सितम्बर 2011 व मार्च 2012) लिया। निविदा शर्तों के अनुसार, निविदा में ए—III श्रेणी²⁰ या उससे अधिक श्रेणी के ठेकेदार या सरकारी विभाग या उपक्रमों में इस प्रकृति के कार्यों में अनुभव प्राप्त ठेकेदार ही भाग लेने योग्य थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच कार्य²¹ अयोग्य ठेकेदारों को प्रदान किये गये जो कि निविदा के उक्त मानदण्ड को परिपूर्ण नहीं कर रहे थे। परिणामतः ऐसे ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दो जोन कार्यालय भवन का निर्माण पाँच से 17 महीनों के विलंब से हुआ तथा दो जोन कार्यालय भवन का निर्माण ठेकेदारों के कार्य निष्पादन में कमी के कारण 31 मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि जोन कार्यालय भवन, रायगढ़ के संबंध में अनुबंध होने के पहले न्यूनतम बोलीकर्ता ए—II श्रेणी में पंजीकृत था तथा अनुबंध निष्पादित होने के पूर्व ए—IV श्रेणी में पंजीकृत हो गया। शेष जोन कार्यालय भवनों के संबंध में ठेकेदारों के अनुभव के आधार पर कार्य उन्हें प्रदान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जोन कार्यालय भवन, रायगढ़ के संबंध में ठेकेदार निविदा करते समय योग्य नहीं था तथा अन्य जोन कार्यालय भवनों के प्रकरण में ठेकेदारों के पास निविदा शर्तों के अनुसार सरकारी विभागों/उपक्रमों में इसी प्रकृति के कार्यों के आवश्यक अनुभव नहीं थे।

¹⁹ भाग—ब के कार्य मनेन्द्रगढ़, मुंगेली, जगदलपुर तथा नैला—जाँजगीर में क्रमशः 31 दिसम्बर 2013, 25 अक्टूबर 2013, 30 अप्रैल 2014 एवं 30 अप्रैल 2014 को पूर्ण हुए।

²⁰ ए—III श्रेणी का ठेकेदार ₹ 50 लाख तक के कार्यों के लिए योग्य है।

²¹ रायगढ़—I, रायगढ़—II, दुर्ग, मुंगेली और बिलासपुर के दो मंजिला जोन कार्यालय भवन का निर्माण।

पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं आँकड़े अभिग्रहण प्रणाली की स्थापना

2.1.11 स्काडा में बड़े शहरों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) विकेन्द्रीत रूप से नियंत्रण द्वारा रिमोट संचालन के माध्यम से प्रणाली की विश्वसनियता को बढ़ाना सम्मिलित है। स्काडा परियोजना की स्वीकृती (जनवरी 2012) के तीन वर्षों के अन्दर जैसा कि जनवरी 2015 तक दो शहरों²² में स्थापित करना था इसे बाद में मार्च 2017 तक बढ़ाया गया। कम्पनी को डीपीआर बनाने, परियोजना के निरीक्षण एवं परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एसआईए की नियुक्ति के लिए कम्पनी की सहायता करने के लिए स्काडा सलाहकार (एसडीसी) नियुक्त करना था। स्काडा का भाग—अस्काडा/डीएमएस के आईटी भाग से संबंधित है। स्काडा का भाग—बस्काडा/डीएमएस के लिए सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण से संबंधित है। दो शहरों की स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 41.06 करोड़ थी, उसमें से ₹ 12.32 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ (सितम्बर 2012) एवं ₹ 2.59 करोड़ सलाहकार को भुगतान करने के लिए तथा एसआईए को मोबालाइजेशन अग्रिम देने में खर्चा हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 तक परियोजना में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। स्वीकृत लागत, निधि की प्राप्ति एवं स्काडा परियोजना पर कुल खर्चा का शहरवार वर्गीकरण **अनुलग्नक – 2.1.2** में दिया गया है।

स्काडा कार्य का निष्पादन

2.1.11.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, स्काडा/डीएमएस का क्रियान्वयन एसआईए के द्वारा किया जाना था। कम्पनी ने मेसर्स अलस्टाम टी एण्ड डी, इंडिया लिमिटेड को एसआईए नियुक्त (26 अप्रैल 2013) किया। 11 जुलाई 2014 को अनुबंध निष्पादित किया गया जिसके अनुसार निर्धारित पूर्णता अवधि जनवरी 2016 थी। डीपीआर के अनुसार कम्पनी एसआईए को कार्य करने के लिए स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करायेगी। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- कम्पनी की ईआईटीसी संकाय द्वारा निविदा की प्रक्रिया में विलंब करने के कारण कम्पनी ने एसआईए की नियुक्ति निर्धारित तिथि से एक वर्ष विलंब से किया। इसके अलावा, कार्य आदेश के अनुसार कार्य आदेश से 14 दिन के अन्दर अर्थात् 9 मई 2013 तक अनुबंध निष्पादित करना था। परन्तु एसआईए द्वारा निष्पादन गारंटी विलंब से देने के कारण अनुबंध कार्य आदेश से 14 माह से अधिक समय व्यतित हो जाने के बाद 11 जुलाई 2014 को निष्पादित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप स्काडा के कार्य की निर्धारित पूर्णता अवधि 14 माह से आगे बढ़ गई।
- डीपीआर के अनुसार कम्पनी एसआईए को कार्य करने के लिए स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करायेगी। इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए कम्पनी ने 19 मार्च 2013 को निविदा जारी की। बोलीदाताओं द्वारा रुचि न लेने के कारण इसे आठ बार 15 नवम्बर 2013 तक बढ़ाया गया। तदोपरान्त, कम्पनी ने कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य को दो भागों में बॉटनें का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013) एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़²³ करने का कार्य एसटीआरई संकाय को उसके अनुभव एवं कुशलता को ध्यान में रखते हुए दिया गया। उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित अन्य कार्य²⁴ कम्पनी की ईआईटीसी संकाय द्वारा किया जाना था।

²² रायपुर एवं दुर्ग—भिलाई—चरोदा शहर

²³ ट्रॉफार्मर की स्थापना, डीजीटल रिले पेनल एवं एबी कैबल के साथ डीपी स्ट्रक्चर का निर्माण।

²⁴ सर्वेक्षण, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापित करना जॉच एवं रिंग मेन यूनिट तथा फाल्ट पेसेज इंडिकेटर की स्थापना।

यदि कम्पनी इसे प्रारंभिक दौर में ही दो भागों में बाँट देती तो कम्पनी सात माह²⁵ का समय बचा लेती जो कि संयुक्त निविदा की प्रक्रिया में व्यर्थ किया। कार्यों को दो भागों में बाँटने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश दिया गया (मई 2015 से मई 2016 के दौरान)। ये कार्य प्रगति में हैं।

- डीपीआर के अनुसार कम्पनी को स्वयं की लागत से स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन एसआईए को प्रदान करना था। कम्पनी ने भिलाई का स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन दिसम्बर 2013 में पूर्ण किया परन्तु रायपुर को स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन का निर्माण मार्च 2016 तक नहीं किया गया था। कार्य आदेश के अनुसार, एसआईए को स्काडा हार्डवेयर नियंत्रण केन्द्रों में स्थापित करना था। यद्यपि, एसआईए ने भिलाई के नियंत्रण केन्द्र भवन में 31 मार्च 2016 तक दो वर्ष व्यतित हो जाने के बाद भी स्काडा हार्डवेयर स्थापित करने का कार्य कम्पनी द्वारा स्काडा की सक्षम अद्योसंरचना उपलब्ध नहीं कराया जाना बताकर शुरू नहीं किया। इसके अलावा एसआईए के निवेदन पर कम्पनी ने कार्य की पूर्णता अवधि में अगस्त 2017 तक की वृद्धि प्रदान की (फरवरी 2016)।



चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी स्काडा परियोजनाओं की स्थापना में कोई प्रगति नहीं थी।

(भिलाई का स्काडा नियंत्रण केन्द्र भवन बिना स्काडा की स्थापना के)

इस प्रकार, स्काडा परियोजना की स्वीकृति (जनवरी 2012) के चार वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बावजूद कम्पनी परियोजना में कोई प्रगति नहीं कर पाई जिसके फलस्वरूप वितरण प्रबंधन प्रणाली की विश्वसनियता को बढ़ाने का संभावित उद्देश्य एसआईए की नियुक्ति में विलंब, एसआईए द्वारा कार्य न करने एवं कम्पनी द्वारा स्काडा सक्षम अद्योसंरचना एवं अन्य उपकरण प्रदान न करने के कारण विफल हुआ।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार्य करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी भारत सरकार द्वारा मार्च 2017 तक प्रदान की गयी समय वृद्धि तक कार्य को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

भाग—ब: वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य

2.1.12 योजना का भाग—ब में वितरण प्रणाली के नियमित सुदृढ़ीकरण जैसे सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, लाईन की री-कंडक्टरिंग, घने क्षेत्रों में ऐरियल बन्च कंडक्टरिंग करना, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इनर्जी मीटर को बदलकर दोषपूर्ण रहित इलेक्ट्रानिक मीटर लगाना, केपीसीटर बैंक स्थापित करना आदि सम्मिलित है। योजना का भाग—ब 19 शहरों में ₹ 710.24 करोड़ की स्वीकृत लागत से कार्यान्वित करना था जिसकी निर्धारित पूर्णता तिथि जनवरी 2015 थी जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2017 तक बढ़ाया गया। मार्च 2016 तक ₹ 551.97 करोड़ निधि प्राप्त हुई। जिसमें से ₹ 540.46 करोड़ व्यय हुआ तथा 83.97 प्रतिशत कार्य की भौतिक प्रगति थी जिसे **खाचित्र — 2.1.1** में दिखाया गया है।

²⁵ अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013

रेखाचित्र – 2.1.1

सभी शहरों की मुख्य मदों की भौतिक प्रगति



(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

स्वीकृत लागत, प्राप्ति एवं निधि का व्यय का शहरवार वर्गीकरण **अनुलग्नक-2.1.2** दिया गया है।

कार्यों का निष्पादन

2.1.13 कम्पनी के कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई) संकाय द्वारा शहरवार खुली निविदाओं के माध्यम से नियुक्त विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों को वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य प्रदान किये गये। कम्पनी के संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता, जो कि परियोजना प्रभारी है, योजना के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करवाने एवं अपने अधिकार क्षेत्र में संपादित कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर 19 शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य का आदेश दिए (मई 2012 से मार्च 2013)। मार्च 2016 की समाप्ति तक केवल 15 शहर पूर्ण²⁶ हुए। परियोजनाओं के निष्पादन में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

'गो-लाईव' शहरों की एटीएण्डसी हानियाँ

2.1.13.1 आर-एपीडीआरपी का प्राथमिक उद्देश्य एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना है एवं उसे इस स्तर पर बनाये रखना है। योजना के प्रारंभ में 2009–10 में 20 परियोजना शहरों की एटीएण्डसी हानि 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के मध्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना में सम्मिलित शहरों में 2014–15 एवं 2015–16

²⁶ समापन प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

की अवधि के दौरान एटीएण्डसी हानि 2.88 एवं 51.28 प्रतिशत के मध्य थी जिसे रेखाचित्र – 2.1.2 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 2.1.2

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान शहरवार एटीएण्डसी हानियाँ



उपरोक्त से लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

कम्पनी
आर-एपीडीआरपी के प्रारम्भिक उद्देश्य गो-लाइव शहरों में एटीएण्डसी हानियों को 15 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य तक लाने में विफल रही।

- वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान 16 एवं 20 गो-लाइव शहरों में से केवल तीन²⁷ (19 प्रतिशत) एवं चार²⁸ (20 प्रतिशत) शहर क्रमशः अच्छे प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य के क्रियान्वयन, अच्छी राजस्व वसूली एवं निरीक्षण के कारण लक्षित 15 प्रतिशत एटीएण्डसी हानि को प्राप्त कर सके। अन्य शहरों के निराशजनक निष्पादन का कारण निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादन, बिजली चोरी की उच्चदर एवं बाकीदारी उपभोक्ता था।
- पाँच शहरों²⁹ की उपलब्धि लक्ष्य से बहुत कम थी एवं उनका एटीएण्डसी हानि का प्रतिशत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान 32.81 एवं 51.28 के मध्य था।
- कम्पनी कर्वाचारा, डोंगरगढ़, मनेंद्रगढ़, भाटापारा एवं अस्सिकापुर शहरों में प्राप्त किये गये एटीएण्डसी हानि को उसी स्तर पर बनाये रखने में असफल रही जो कि 2014–15 में क्रमशः 27.10, 11.38, 27.66, 17.39 एवं 36.36 प्रतिशत थी जबकि 2015–16 में बढ़कर 34.60, 18.37, 35.31, 18.07 एवं 37.12 प्रतिशत हो गयी।

²⁷ डोंगरगढ़, धमतरी एवं चिरमिरी।

²⁸ दल्ली राजहरा, दुर्ग-भिलाई-चरोदा, रायपुर एवं चिरमिरी।

²⁹ चाम्पा, अस्सिकापुर, नैला-जांजगीर, कोरबा एवं मुंगेली।

- वर्ष 2015–16 के दौरान 16 शहरों³⁰ की एटीएण्डसी हानियाँ 15 प्रतिशत के बेंचमार्क स्तर से अधिक थी जो कि 213.78 मिलियन यूनिट थी जिसके कारण ₹ 66.06 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी गो—लाईव शहरों में एटीएण्डसी हानि को 15 प्रतिशत के लक्षित स्तर को कायम रखने के आर—एपीडीआरपी के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

निर्गमन सम्मेलन (अक्टूबर 2016) के दौरान शासन ने कहा कि एटीएण्डसी हानि का वक्रपथ राज्य में घटते क्रम में है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पाँच शहरों में एटीएण्डसी हानि 2014–15 की तुलना में 2015–16 में बढ़ते क्रम में है। इसके अलावा 20 गो—लाईव शहरों में से 16 शहरों की एटीएण्डसी हानि 15 प्रतिशत के बेंचमार्क स्तर से अधिक थी।

इसके अलावा, एटीएण्डसी हानि को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा (जनवरी 2017) के दौरान विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने कहा कि सभी शहर 15 प्रतिशत के एटीएण्डसी हानि का लक्ष्य 2018–19 तक प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शहरों में चोरी को रोकने के लिए एरियल बन्च केबल लगाये जा रहे हैं।

पूर्णता प्रमाण पत्र का मुद्दा

2.1.13.2 कम्पनी ने कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई), अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को योजना के भाग—ब कार्य को करवाने के लिए क्रमशः नोडल अधिकारी, परियोजना प्रभारी एवं सहायक परियोजना प्रभारी नियुक्त किया। उनकी मुख्य जिम्मेदारी कार्य आदेश की नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य को पूर्ण करवाने को सुनिश्चित करना था।



(कार्य आदेश के प्रावधानों के अनुसार अभिकापुर शहर में सर्विस केबल स्थापित नहीं किया गया)

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने अभी तक (मार्च 2016) अभिकापुर शहर का भाग—ब का कार्य पूर्ण³¹ नहीं किया है, यद्यपि, कम्पनी के अधीक्षण अभियंता ने पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया (31 मार्च 2014) एवं कार्यपालक निदेशक (एसटीआरई) ने इसे पीएफसी को सूचित किया। इस प्रकार पूर्णता प्रमाणपत्र बिना कार्य पूर्ण किये जारी किया गया एवं पीएफसी को गलत जानकारी दी गई। अपूर्ण कार्य के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करते हुए ठेकेदार को शेष कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया

³⁰ मार्च 2015 तक गो—लाईव घोषित किये गये।

³¹ डीटीआर बाक्स एवं सर्विस केबल स्थापित नहीं किया एवं एबी केबल को उर्जित नहीं किया गया।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कुछ व्यावहारिक कारणों से कुछ डीटीआर एवं लाईन उर्जित नहीं की जा सकी एवं कमियों को कम्पनी ने सुधार लिया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपूर्ण कार्य के कारण डीटीआर एवं लाईन उर्जित नहीं की गई। बहुत से स्थानों में एबी केबल, वितरण बाक्स एवं सर्विस केवल स्थापित नहीं किया गया।

निगरानी समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कार्य का निष्पादन

2.1.13.3 निगरानी समिति के निर्णय (अगस्त 2012) के अनुसार बीओक्यू में संशोधन के कारण लागत में परिवर्तन स्वीकृत डीपीआर लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित रहना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मनेन्द्रगढ़ एवं मुंगेली शहर में कार्य की वास्तविक लागत स्वीकृत डीपीआर लागत ₹ 5.38 करोड़ एवं ₹ 5.15 करोड़ के विरुद्ध क्रमशः ₹ 5.84 करोड़ एवं ₹ 5.98 करोड़ थी। मुंगेली शहर के लिए 19.34 प्रतिशत एवं मनेन्द्रगढ़ शहर के लिए 23.97 प्रतिशत लागत में वृद्धि का मुख्य कारण कार्य निष्पादन के दौरान कार्य के क्षेत्र में वृद्धि था जो प्रदर्शित करता है कि डीपीआर वास्तविक आधार पर नहीं बनाई गई। निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित 10 प्रतिशत की परिवर्तन सीमा से अधिक लागत को कम्पनी द्वारा अपनी निधि से फाइनेंस करना पड़ता है एवं इसका योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, वास्तविक आधार पर डीपीआर नहीं बनाने के कारण कम्पनी को अतिरिक्त लागत ₹ 1.13 करोड़ वहन करना होगा।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि 2010–11 में उपलब्ध कार्य एवं कार्य स्थल की स्थिति के आधार पर डीपीआर बनाया गया एवं वास्तविक कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य कराया गया। शासन ने पुनः कहा कि इसका प्रस्ताव पीएफसी के माध्यम से निगरानी समिति के समक्ष रखा गया (सितम्बर 2015) है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि डीपीआर लागत से केवल 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक लागत में परिवर्तन स्वीकार्य था।

निविदाओं का अन्तिमीकरण

2.1.13.4 निगरानी समिति से अनुमोदन के बाद कम्पनी ने भाग–ब के कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशा निर्देश एवं भाग–ब की डीपीआर में टर्नकी निविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया वहीं भाग–अ एवं स्काडा की अनुमोदित डीपीआर में निष्पादन करने वाली एजेंसी की नियुक्ति के लिए तीन माह का समय प्रदान किया गया। किसी समय सीमा के अभाव में कम्पनी को भाग–ब की निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए योजना की भाग–अ के समान तीन माह का समय अपनाना चाहिए था। यथापि, निविदा को 21 एवं 164 दिन के (निविदा को अन्तिमरूप देने के लिए तीन माह का समय लेते हुए) विलम्ब से अन्तिमरूप दिया गया जिसके कारण सम्पूर्ण परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि भविष्य की निविदाओं में कम्पनी लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को ध्यान में रखेगी तथा निविदा को अन्तिमरूप देने में विलम्ब को कम करने के लिए समय सारणी विकसित करेगी या उसका पालन करेगी।

कार्यों की पूर्णता

2.1.13.5 कार्य आदेशों के अनुसार, कार्य आदेश से दिनांक 12/18 माह के अंदर भाग—ब कार्य पूर्ण करना था। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कार्य की प्रगति का विवरण **अनुलग्नक – 2.1.4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 शहरों में से केवल दो शहरों का कार्य समय पर पूर्ण हुआ एवं 13 शहरों का कार्य दो से 13 माह के विलम्ब से पूर्ण हुआ। शेष चार शहरों का कार्य मार्च 2016 तक 28 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण रिंग फॉसिंग को पूर्ण करने में विलम्ब, कार्य के क्षेत्र में बार-बार परिवर्तन, सबस्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब, 33/11 केव्ही लाईनों के सर्वेक्षण में विलम्ब, जन अवरोध, कार्य करने के लिए विद्युत शटडाउन समय पर न देने, भारी वर्षा एवं ठेकेदारों का निम्न निष्पादन था। यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी ने ना ही कार्य की ठीक से योजना बनाई एवं ना ही ठेकेदारों को आधारभूत अद्योसंरचना प्रदान की।

शासन ने विलम्ब के कारणों को उचित बताते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि उपरोक्त वर्णित समस्यायें पूरे भारत में व्याप्त हैं एवं तदानुसार ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने पूर्णता अवधि को जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक बढ़ाया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने कार्य को पूर्ण करने के लिए अत्यधिक ज्यादा समय लिया एवं परिहार्य विलम्ब को नियन्त्रित करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ एवं योजना से मिलने वाले लाभ में भी विलम्ब हुआ।

रायगढ़ शहर का कार्य आदेश

विलम्ब से निविदा को अन्तिम रूप देने के कारण प्रस्ताव कि वैधता अवधि समाप्त हुई एवं तदोपरांत उच्च दर पर नई निविदा प्रदान करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य योग्य वित्तीय भार पड़ा।

2.1.13.6 निविदा का नियम एवं शर्त के अनुसार सफल बोलीदाता को स्वीकृती पत्र की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निष्पादन सुरक्षा जमा करना था। इसके अलावा, सफल बोलीदाता के ऐसा करने में विफल होने पर कम्पनी अगले निम्न बोलीदाता को ठेका प्रदान कर सकती है। कम्पनी ने रायगढ़ शहर के प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (20 जुलाई 2011)। निविदा को अन्तिमरूप दिया गया एवं एल-1 निविदाकार मेसर्स अरावली इन्फास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) को ₹ 30.64 करोड़ के मूल्य का स्वीकृती पत्र प्रेषित किया (23 मार्च 2012) गया। यद्यपि ठेकेदार ने निर्धारित समय में निष्पादन सुरक्षा जमा नहीं की एवं कम्पनी ने इसके लिए नवीन निविदा जारी (27 अगस्त 2012) की। नये ठेकेदार का ₹ 34.86 करोड़ में कार्य का आदेश दिया (7 मार्च 2013) गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने मूल निविदा को अन्तिमरूप देने में आठ माह का अत्यधिक लम्बा समय लिया तदोपरांत, चयनित बोलीदाता द्वारा निष्पादन सुरक्षा जमा न करने पर एल-2 बोलीदाता को दिया गया प्रति प्रस्ताव उनके द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया क्योंकि उस समय तक प्रस्ताव की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी यदि कम्पनी निविदा को अन्तिमरूप वैधता अवधि के बहुत पहले कर लेती तो एल-1 बोलीदाता के विफल होने पर कम्पनी एल-2 बोलीदाता को उनकी दी गई दर ₹ 33.68 करोड़ दर पर कार्य आदेश दे सकती थी एवं ₹ 1.18 करोड़ बचा सकती थी। जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य योग्य वित्तीय भार पड़ा।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विलंब बहुत अधिक वित्तीय बोली की संवीक्षा के कारण हुआ एवं समय पर निविदा को अन्तिमरूप देने के लेखापरीक्षा की अनुशंसा का भविष्य की निविदा में पालन किया जायेगा। शासन ने पुनः कहा कि एल-2 बोलीदाता मेसर्स इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्रति प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल्य बोली की वैद्यता अवधि 26 मार्च 2012 से कम्पनी अच्छी तरह अवगत थी। इसलिए, कम्पनी को निविदा का अन्तिमिकरण समय सीमा में करना चाहिए जिससे कि मूल्य बोली की वैद्यता अवधि समाप्त होने पर बोलीदाता द्वारा निविदा को अस्वीकार्य करने की स्थिति को रोका जा सके। यद्यपि कम्पनी ने निविदा के अन्तिमीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की एवं निविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ जिसके कारण मूल्य बोली की वैद्यता अवधि समाप्त हुई तथा तदोपरान्त एल-2 बोलीदाता ने प्रति प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार किया।

भाग—ब कार्य का क्रियान्वयन

2.1.13.7 अभिलेखों की संवीक्षा में कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीः

- निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार यदि त्रुटि दायित्व की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री/निष्पादित किये गये कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ठेकेदार त्रुटिपूर्ण सामग्री/कार्य में तत्परता से समुचित सुधार कार्य करेगा या सामग्री को बदलेगी। कोरबा शहर में मिनियेचर स्क्रिट ब्रेकर (एमसीबी) की गुणवत्ता निम्न थी एवं डीटीआर में स्थापित अधिकतर एमसीबी विफल हो गये थे या जल गये थे। यद्यपि ठेकेदार ने इन्हें बदलने के बजाय ग्रीप स्थापित कर दिया। इस प्रकार विफल एमसीबी को चलाने के लिए ग्रीप का उपयोग किया जो कि ठेके की शर्त का उल्लंघन था एवं सुरक्षा के साथ समझौता भी किया गया।
- नैला—जॉर्जीर, चाम्पा, महासमुन्द अम्बिकापुर एवं राजनान्दगाँव शहर में सब स्टेशन या लाईन को उर्जित करने के लिए विद्युत इंस्पेक्टर से अनुमति नहीं ली गई जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं आपूर्ति से संबंधित मामले) विनियमन 2010 का उल्लंघन था।

आन्तरिक नियंत्रण, निगरानी एवं प्रशिक्षण

2.1.14 निगरानी गुणवत्ता आश्वस्त प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। योजना एसएलडीआरसी द्वारा निगरानी, निर्धारित प्रपत्र में पीफसी को मासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा करना एवं राज्य स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा निगरानी का रचनातंत्र प्रदान करती है। इसके अलावा एक अन्य पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था योजना के मूल्यांकन के लिए भी थी। निगरानी रचनातंत्र की समीक्षा से निम्नलिखित पाया गया:

माईलस्टोन/लक्ष्य की निगरानी एवं एसएलडीआरसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन

2.1.14.1 योजना के दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य द्वारा एसएलडीआरसी³² का गठन परियोजना प्रस्ताव की अनुशंसा, योजना की शर्तों के पालन की निगरानी एवं माईल स्टोन की प्राप्ति के लिए की गई थी। तदानुसार, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, न एसएलडीआरसी गठित (अगस्त 2009) की एवं निर्देशित किया कि प्रत्येक दो माह में एक बार एसएलडीआरसी की बैठक होनी चाहिए।

सितम्बर 2009 से मार्च 2016 के दौरान एसएलडीआरसी की 39 बैठकों के स्थान पर सिर्फ आठ बैठक ही आयोजित हुई तथा 6 जनवरी 2012 के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। नियमित रूप से बैठक के अभाव में एसएलडीआरसी ने योजना के माईलस्टोन एवं लक्ष्य तथा शर्तों के अनुपालन के अभाव के कारण निष्पादन में कमी, ठेकेदारों द्वारा असंतोषजनक निष्पादन एवं कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने पर आगे की कार्यवाही का अभाव था।

एसएलडीआरसी योजना की शर्तों का अनुपालन एवं योजना के माईल स्टोन की प्राप्ति के निरीक्षण में विफल रही।

³² मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विभिन्न उच्च स्तरों पर समीक्षा बैठक के निरंतरता को देखते हुए एसएलडीआरसी द्वारा अलग से प्रगति की समीक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं की। यद्यपि कम्पनी लेखापरीक्षा की अनुशंसा का भविष्य में पालन करेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसएलडीआरसी के दिशा निर्देश के अनुसार योजना की शर्तों का अनुपालन एवं माईल स्टोन की प्राप्ति को निगरानी के लिए प्रत्येक दो माह में एक बैठक आयोजित करना आवश्यक था। यद्यपि, कम्पनी इसका अनुपालन करने में विफल हुई।

निगरानी प्रणाली

2.1.14.2 योजना की निगरानी में पाई गयी कमी को नीचे दर्शाया गया है :

- कम्पनी के अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तर पर साप्ताहिक/नियमित आधार पर परियोजना की निगरानी करना था। यद्यपि कम्पनी ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन/अभिलेख संधारित नहीं किया। इसके अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि जिम्मेदार अधिकारी ने कुशलतापूर्वक परियोजना की निगरानी की एवं निर्धारित समय में परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया।
- योजना की विशेष निगरानी के लिए ऊर्जा मंत्रालय राज्य स्तरीय टास्कफोर्स का गठन (14 अगस्त 2013) किया। टास्कफोर्स को सम्बन्धित राज्य में महीने में एक बार भ्रमण करना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने टास्कफोर्स के भ्रमण, उनके द्वारा दिये गये सुझाव एवं उन सुझाव पर की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज संधारित नहीं किया। इसलिए, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि टास्कफोर्स के गठन का संभावित उद्देश्य को पाया गया।
- कम्पनी के पास आवधिक विवरण एवं निष्पादन प्रतिवेदन जैसा कोई रचनातंत्र नहीं था जिसके द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जैसा कि प्रगति की स्थिति, शर्तों का अनुपालन, लक्ष्य की प्राप्ति की प्रगति एवं योजना की प्रगति को आवधिक रूप से संचालक मण्डल की जानकारी में लाया जा सके। ऐसे प्रणाली का अभाव, विशेषरूप से इतने महत्वपूर्ण परियोजना के लिए, कम्पनी की तरफ से एक गंभीर कमी है।

शासन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी कार्य की प्रगति की निगरानी करती है एवं आश्वस्त किया कि भविष्य में निगरानी के प्रणाली में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी को योजना की निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कम्पनी/शासन द्वारा बनाये गये दिशा निर्देश नियम एवं विनियमन के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इस सम्बंध में, समीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि आर-एपीडीआरपी क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक—एसटीआरई एवं मुख्य अभियंता—ईआईटीसी, नोडल आफिस का आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया।

भाग-ब की सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन सम्पत्तियों के भौतिक रूप से उपस्थिति को सुनिश्चित करता है एवं यह आश्वस्त करता है कि इसका लेखांकन उचित ढंग से किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि भाग-अ का भौतिक सत्यापन किया गया वहीं 2012–13 से 2015–16 की अवधि के दौरान योजना के भाग-ब के अधीन स्थापित हुए सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

शासन ने कहा कि (नवम्बर 2016) कि ठेकेदारों के बिलों को अनुमोदित करते समय संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों के बिलों का अनुमोदन के बाद सम्पत्ति की भौतिक उपस्थिति एवं उनका समुचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अवधि में स्थापित सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को प्रशिक्षण

2.1.14.3 भारत सरकार की निगरानी समिति के 12 वीं बैठक के अनुसार, योजना के अन्तर्गत तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को विद्युत वितरण में छः माह का प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। यह कम्पनी का उत्तरदायित्व है कि वह पंजीयन करवाये तथा अध्ययन शुल्क का भुगतान करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना में उल्लेखित होने के बावजूद भी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण प्रदत्त (मार्च 2016) नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, योजना के सम्माहित लाभ से तकनीकी कर्मी/लाइनमेन वंचित हुए।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि तकनीकी कर्मी व लाइनमेन को छः माह का प्रमाणपत्र प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि कर्मचारीयों को छः माह के लिए खाली रखना पड़ता और प्रशिक्षण शुल्क को कर्मचारीयों द्वारा दिया जाना था जो कि बाद में उन्हें उक्त प्रशिक्षण में सफल होने के उपरान्त लौटा दिया जाता।


उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रशिक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया जाना था और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान न करने के परिणामस्वरूप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ।

विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता तथा विधिक कार्यवाही

2.1.14.4 विद्युत चोरी रोकने तथा इसके द्वारा वाणिज्यिक हानियाँ को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सतर्कता व विधिक कार्यवाही है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत चोरियों के प्रकरणों में शामिल राशि बढ़ती हुई प्रवृत्ति में दिख रही है जो कि ₹ 7.56 करोड़ (2009–10) से 338 प्रतिशत बढ़कर ₹ 25.58 करोड़ (2014–15) हो गयी जिसे [रेखाचित्र – 2.1.3](#) में देखा जा सकता है।

रेखाचित्र – 2.1.3

चोरी के प्रकरणों की संख्या तथा इसमें शामिल राशि



यह दर्शित करता है कि विद्यमान प्रणाली विद्युत चोरी को रोकने के लिए प्रभावी नहीं था। इसके अलावा, 2009–10 से 2015–16 की अवधि के दौरान 33474 चोरी/लघु चोरी के प्रकरणों में सिर्फ 2149 प्रकरणों में प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज कि गयी थी। इन 2149 दर्ज प्रकरणों के विरुद्ध में सिर्फ 393 प्रकरणों³³ (18.29 प्रतिशत) में ही दोषसिद्धि की गयी।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि विद्युत चोरी को कम करने के लिए कम्पनी ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इसके अलावा शासन ने बताया कि पंजीकृत प्रकरणों की लिखित सूचना पुलिस को दी जाती है तथा 2009–16 के दौरान कम्पनी द्वारा कुल 21235 प्रकरणों को एफआईआर के रूप में पंजीबद्ध करवाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2009–10 से 2014–15 के दौरान विद्युत चोरी के प्रकरण बढ़ती हुई प्रवृत्ति में है। इसके अलावा एफआईआर के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक तौर पर गलत है क्योंकि वर्ष 2009–10 से 2015–16 के दौरान सिर्फ 2149 प्रकरण एफआईआर के रूप में दर्ज हुए।

सतर्कता प्रभाग के लिए लक्ष्यों का निर्धारण

2.1.14.5 सतर्कता प्रभाग के द्वारा निरीक्षण के लक्ष्यों व उनकी प्राप्ति की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा की निम्नांकित आपत्तियाँ हैं:

³³ कुल 33474 चोरी/अनियमित प्रकरणों का 1.17 प्रतिशत

- वर्ष 2009–10 से 2015–16 के दौरान, निरीक्षण के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि 76.36 प्रतिशत से 116.24 प्रतिशत के बीच रही। लेखापरीक्षा ने पाया कि सतर्कता प्रभाग ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि पिछले वर्षों³⁴ की तुलना में कम लक्ष्य निर्धारण करने के कारण वर्ष 2014–15 व 2015–16 में लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये।
- सतर्कता प्रभाग के द्वारा 2009–10 से 2015–16 में राजस्व संग्रह के लक्ष्यों के प्राप्ति की सीमा 114.24 और 452.48 के बीच थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 और 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष³⁵ संग्रहित राजस्व की तुलना में कम लक्ष्य निर्धारित किये गये। यह दर्शात करता है कि सतर्कता प्रभाग का लक्ष्य कम निर्धारित किया गया था यद्यपि चोरी के प्रकरणों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जैसा कि कंडिका 2.1.14.4 में चर्चा कि गयी है।

शासन ने बताया (नवंबर 2016) कि वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण उपलब्ध संसाधन एवं मानव शक्ति के आधार पर किया जाता है। शासन ने यह भी बताया कि कम्पनी ने पहले से ही 2016–17 के लिए लक्ष्यों को बढ़ा दिया है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी चालू वर्ष के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के समय पर पिछले वर्ष की वास्तविक उपलब्धि को ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा, 2016–17 के लिए लक्ष्यों को बढ़ाने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पिछले वर्षों के लक्ष्यों को बिना किसी सही औचित्य के कम कर दिया गया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि:

- ₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ) के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहरों ने हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई हैं किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। एटीएण्डसी हानियाँ के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यों के क्रियान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चुक उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्रारंभिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।
- आईटी समर्थ प्रणाली (योजना का भाग–अ) के अन्तर्गत, कम्पनी ने अगस्त 2015 तक सभी शहरों को गो–लाइव घोषित कर दिया। जबकि, योजना के अन्तर्गत 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया; अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल के द्वारा सभी फीडर

³⁴ 2013–14 व 2014–15 में क्रमशः 50398 व 54610 निरीक्षण किये गये। जबकि 2014–15 व 2015–16 में 49000 व 36100 निरीक्षण निर्धारित किये गये।

³⁵ 2013–14 और 2014–15 में संग्रहित राजस्व क्रमशः ₹ 132.80 करोड़ व ₹ 55.45 करोड़ थे जबकि 2014–15 व 2015–16 में राजस्व संग्रहण के लिए लक्ष्य क्रमशः ₹ 30.05 करोड़ व ₹ 25.89 करोड़ निर्धारित किये गये थे।

ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नहीं किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरूप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन माड्युल के लिए नहीं किया जा रहा था। वितरण ट्रांसफार्मर और फीडरों में स्थापित मोडेमों के सिर्फ 31 प्रतिशत मोडेम ही सफलतापूर्वक ऊर्जा आँकड़ों का प्रेषण कर रहे थे जिससे योजना का उद्देश्य मानव दखल के बिना ऊर्जा लेखांकन एंव अंकेक्षण विफल हुआ।

- कम्पनी नियमित तौर पर उपभोक्ता आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में विफल रही।
- स्काडा कार्यान्वयन संस्था (एसआईए) के नियुक्ति में, एसआईए द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में सुस्ती और कम्पनी द्वारा स्काडा को क्रियान्वयन करने आधारभूत ढाँचा प्रदान न करने के कारण चार वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी स्काडा के क्रियान्वयन में कोई भी प्रगति नहीं थी। इस प्रकार, कम्पनी दुर्वर्ती संचालन के माध्यम से प्रणाली की विश्वसनीयता को सुधार करने में विफल रही।
- कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ को योजना के खाते के स्थान पर अपने ओवर ड्राप्ट खाते में जमा किया जिसके परिणाम स्वरूप योजना को ₹ 1.70 करोड़ के ब्याज आय की हानि हुई। तत्काल आवश्यकता के बिना ही निधियों का आहरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार हुआ।
- एसएलडीआरसी और कम्पनी योजना के शर्तों के अनुपालन तथा योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी करने में विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी के नोडल अधिकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहे जैसा कि इनके पास निगरानी/निरीक्षण के कोई भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

अनुशंसायें

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा किया कि:

- कम्पनी को आधारभूत संरचना में कमीयों को दुर करते हुए तथा विद्युत की चोरी/चुककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत एटीएण्डसी हानि के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करने चाहिए।
- कम्पनी को योजना के अनुसार, मानवदखल रहित ऊर्जा लेखांकन व अंकेक्षण के आँकड़ों को तात्कालिक रूप से प्राप्त कर प्रणाली की कमीयों को दूर करने चाहिए। कम्पनी को नियमित तौर पर प्रणाली में उपभोक्ताओं के आकड़ों को अद्यतन करने के लिए एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
- कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्काडा के कार्यों का क्रियान्वयन आगे बिना किसी विलंब के योजना के बढ़ायी हुई समय अवधि के भीतर परियोजना को पूर्ण कर लिया जाये।
- कम्पनी को योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को पूर्णरूप से पालन करना चाहिए।

योजना की निधियों को योजना के बैंक खाते में ही जमा करनी चाहिए और ऋण राशियों का आहरण आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये।

- योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के निगरानी के लिए एसएलडीआरसी को नियमित बैठक आयोजित करनी चाहिए। कम्पनी के नोडल अधिकारीओं द्वारा भी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से करनी चाहिए तथा इन निगरानीयों का लेखा भी रखना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि कमीयों के लिए सुधारात्मक कदम उठा लिये गये हैं।

2.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं दोहन, खनिजों के उत्पादन में वृद्धि, खनिज आधारित उद्योगों के स्थापना तथा प्रोत्साहन, राज्य में खनन के नये क्षेत्रों की खोज के लिए 07 जून 2001 को हुआ। छत्तीसगढ़ में 18 खनिज पाए जाते हैं जिनमें से कम्पनी की गतिविधियों मुख्यतः चार खनिजों अर्थात् बॉक्साईट, कोयला, लौह अयस्क एवं टिन अयस्क तक ही सीमित थी। छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के निर्णय के अनुसार कम्पनी गौण खनिजों³⁶ का व्यवसाय नहीं करती है।

कम्पनी के खनन गतिविधियों की लेखापरीक्षा का निष्पादन (मई 2016 एवं जून 2016) वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए यह निर्धारण करने के लिए किया गया कि क्या खदानों का विकास एवं खनन गतिविधियों का निष्पादन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावकारी रूप से किया गया, खदानों के संचालन के ठेकों का दिया जाना एवं क्रियान्वयन मितव्ययी एवं कुशल रूप से हुआ तथा खदानों के संचालन के दौरान पर्यावरणीय एवं अन्य विनियमों का पालन किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच कम्पनी के रायपुर स्थित मुख्य कार्यालय, अंबिकापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं दंतेवाड़ा स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय में की गई। जिला कबीरधाम स्थित दलदली बॉक्साईट खदान का संयुक्त निरीक्षण³⁷ भी किया गया।

प्रवेश सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2016 में अवर सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के प्रबंध संचालक (एमडी) के साथ किया गया जिसके दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को कम्पनी एवं छत्तीसगढ़ शासन को जुलाई 2016 में सूचित किया गया एवं 11 नवंबर 2016 को सचिव, खनिज साधन विभाग, जीओसीजी के साथ आयोजित निकास सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। निकास सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा व्यक्त उत्तर तथा विचारों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंतिमीकरण के समय ध्यान में रखा गया है।

खनिजों का खनन एवं विपणन

2.2.2 कोयले के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में विस्तृत अन्वेषण के योग्य खनिज धारित क्षेत्रों की क्षेत्रीय पैमाने पर पहचान करने के लिए कम्पनी प्रारंभिक अध्ययन करती है। प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात् खनिज भंडारों की खोज के लिए पूर्वेक्षण किया जाता है। इसके पश्चात् कम्पनी खनिपट्टे के लिये छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन करती है, जिसके अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ शासन भारत सरकार (जीओआई) से अनुशंसा करती है। भारत सरकार से अनुमोदन पश्चात् भारतीय खान ब्यूरों

³⁶ गौण खनिज खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) में परिभाषित हैं।

³⁷ संयुक्त निरीक्षण लेखापरीक्षा दल द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों के साथ किया गया।

(आईबीएम)³⁸ से माईनिंग प्लान का अनुमोदन³⁹ करवाया जाता है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, (एमओईएफ) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात् खनिपट्टे का निष्पादन छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के मध्य किया जाता है जिसकी अवधि 20 से 30 वर्ष तक होती है। जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमाति पश्चात् खनन गतिविधियाँ संचालित कि जाती हैं। कोयले के प्रकरण में कम्पनी को कोयला ब्लॉक्स का आबंटन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसके पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के साथ खनिपट्टे का निष्पादन किया जाता है। कम्पनी उत्थनित खनिजों पर रॉयल्टी तथा अन्य आरोपित राशियाँ⁴⁰ जीओसीजी को भुगतान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी स्वयं खनिजों का खनन एवं विपणन नहीं करती थी तथा इसके लिए ठकेदारों को कार्यादेश देती थी। इसके अतिरिक्त, फीसिबिलिटी प्रतिवेदन, पूर्वेक्षण तथा संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने जैसी खनन पूर्व गतिविधियाँ भी कम्पनी द्वारा आऊटसोर्स की जाती थी।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी की कुल जनशक्ति 180 से 196 के बीच थी तथा खनिजों के खनन एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों के लिए तकनीकि जनशक्ति का प्रतिशत 50 से 52 के मध्य था। 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी का प्रशासनिक एवं कर्मचारी लाभगत लागत ₹ 5.67 करोड़, ₹ 6.39 करोड़, ₹ 8.56 करोड़, ₹ 6.24 करोड़, तथा ₹ 6.65 करोड़ था जो कि संबंधित वर्षों में कम्पनी के राजस्व का 38, 50, 76, 38 तथा 70 प्रतिशत था।

अतः अपने राजस्व का महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक एवं कर्मचारी लाभगत लागत पर व्यय करने के बावजूद खनिजों के खनन एवं विपणन का महत्त्वपूर्ण कार्य भी कम्पनी द्वारा बाह्य एजेंसियों से करवाया जा रहा था। शासन/कम्पनी ने खनन एवं विपणन गतिविधियों को आऊटसोर्सिंग द्वारा तथा कम्पनी के द्वारा करवाने के लिए लागत—लाभ विश्लेषण भी नहीं किया।


2011–12 से 2015–16 के दौरान, कम्पनी ने निजि ठेकेदारों द्वारा बाक्साइट का खनन एवं विपणन तथा टिन अयस्क का व्यापार (क्रय एवं विक्रय) किया। जबकि, कोयला, लौह अयस्क तथा टिन अयस्क के मामलों में आगामी कंडिकाओं में बताए गए कारणों से कोई भी खनन नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा 2011–12 से 2015–16 तक पाँच वर्षों में खनन किए गए बॉक्साइट तथा विक्रय किए गए टिन अयस्क की मात्रा एवं मूल्य **रेखाचित्र – 2.2.1** में दिए गए हैं।

³⁸ भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खदानों के नियामक निरीक्षण तथा माईनिंग प्लान के अनुमोदन द्वारा देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास की उन्नति के लिए एक नियामक संस्था है।

³⁹ कोयला ब्लॉकों के मामले में माईनिंग प्लान का अनुमोदन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

⁴⁰ अधोसंरचना विकास उपकर, विकास एवं पर्यावरण उपकर, पंचायत कर, जिला खनिज संस्थान तथा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि के लिए अंशदान इत्यादि।

रेखा चित्र – 2.2.1 कम्पनी द्वारा खनन/विक्रय किए गए खनिजों का विवरण



2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान कम्पनी के स्वामित्व में रही 15 में से किसी भी खदान में बॉक्साईट का खनन नहीं किया गया। जिसका कारण आईबीएम द्वारा माइनिंग स्कीमों का अनुमोदन⁴¹ ना होना, कार्यानुमति प्राप्त ना होना,⁴² खनन पूर्व गतिविधियों की अवधि⁴³ का प्रचलन में रहना, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ना होना⁴⁴,

⁴¹ बरिमा I एवं बरिमा II खदानों की माइनिंग स्कीमें आईबीएम के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत माइनिंग स्कीमों में त्रुटियों के कारण अनुमोदित नहीं हो पाई।

⁴² पण्डरापाठ I, पण्डरापाठ II, केसरा II, केसरा III, केसरा IV तथा नागाढ़ाढ़ं

⁴³ दलदली

⁴⁴ बरिमा VI

निविदा आमंत्रित ना करना⁴⁵ तथा खानों के संचालन के लिए निविदाओं में बोलीदाताओं का भाग⁴⁶ ना लेना था।

वित्तीय प्रदर्शन

2.2.3 2015–16 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन **अनुलग्नक – 2.2.1** में दिया गया है। कम्पनी का राजस्व 2011–12 में ₹ 14.79 करोड़ से घट कर 2012–13 में ₹ 12.84 करोड़ एवं 2013–14 में ₹ 11.33 करोड़ हो गया जिसका प्रमुख कारण 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान बॉक्साईट खदानों का संचालन ना होना था। यद्यपि 2014–15 में बॉक्साईट खदानों का संचालन पुनः शुरू होने से राजस्व बढ़कर ₹ 16.58 करोड़ हो गया वह 2015–16 में संचालन से राजस्व एवं ब्याज से आय में गिरावट के कारण फिर घटकर ₹ 9.56 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2014–15 में कम्पनी का लाभ क्रमशः ₹ 3.74 करोड़, ₹ 2.93 करोड़ एवं ₹ 2.26 करोड़ था। कम्पनी ने वर्ष 2013–14 में ₹ 1.19 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 1.51 करोड़ की प्राविधिक⁴⁷ हानि वहन की। 2013–14 में हानि का कारण मुख्यतः कर्मचारी लाभगत व्यय में वृद्धि होना एवं वर्ष 2015–16 में संचालन से राजस्व एवं ब्याज से आय में कमी होना था। 2011–12 से 2015–16 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कम्पनी का राजस्व **रेखाचित्र – 2.2.2** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 2.2.2 विभिन्न स्रोतों से आय (₹ लाख में)



(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

⁴⁵ बरिमा III, बरिमा IV, बरिमा V तथा केसरा I

⁴⁶ नर्मदापुर

⁴⁷ वर्ष 2015–16 के कम्पनी के वार्षिक लेखे नवंबर 2016 तक अंतिमिकृत नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

कोयला का खनन

2.2.4 कोयला विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा स्रोत हैं एवं इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक आगत है। भारत में करीब 76 प्रतिशत कोयला उत्पादन विद्युत क्षेत्र में उपभोग किया जाता है। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम की ईयर बुक 2014 के ऑँकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 की स्थिती में छत्तीसगढ़ राज्य में ही देश में उपलब्ध कुल भण्डार (301564.45 मिलियन टन) में से 17.42 प्रतिशत (52532.92 मिलियन टन) कोयला भण्डार थे।

कोयला ब्लॉकों में खनन संचालन

2.2.4.1 अगस्त 2003 से नवम्बर 2013 के दौरान कम्पनी को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (एमओसी) द्वारा छ: कोयला ब्लॉक्स⁴⁸ आबंटित किए गए। विस्तृत अन्वेषण एवं खनन, कम्पनी अथवा कम्पनी की सहभागिता से निर्मित पृथक शासकीय कम्पनी जो कोयले के खनन के योग्य हो, के द्वारा किया जाना था।

आबंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिये कम्पनी को आबंटन के डेढ़ माह के अंदर कोल इण्डिया लिमिटेड/सेंट्रल माईन प्लानिंग एवं डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड/ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से ज्यूलॉजिकल ऑकड़े आवश्यक अन्वेषण लागत का भुगतान कर क्रय करना था। गैर अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के संबंध में कम्पनी को आबंटन के तीन माह के अंदर पूर्वक्षण अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन करना था एवं पूर्वक्षण अनुज्ञाप्ति के जारी होने के दो वर्ष के अंदर अन्वेषण कार्य पूर्ण करना था एवं ज्यूलॉजिकल प्रतिवेदन (जीआर) बनाना था।

इसके अलावा, एमओसी द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कम्पनी को आबंटन के छ: माह के अंदर माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर एमओसी का अनुमोदन लेना था, आबंटन की तिथी से 12 माह के अंदर एमओईएफ से वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करना था एवं कोयला ब्लॉकों में से उत्पादन आबंटन से 54 माह के अंदर प्रारंभ करना था। माइलस्टोन को प्राप्त न करने पर कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द हो जाने योग्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, कम्पनी आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास करने एवं उनमें खनन प्रारंभ करने में विफल रही जिसका मुख्य कारण जीआर के क्रय/निर्माण एवं विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माईनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू-अर्जन आदि के लिए आवेदन करने में विलंब था। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय दिनांक 24 सितंबर 2014 के द्वारा निर्धारित किया कि कोयला ब्लॉकों के आबंटन एकपक्षीय तथा गैरकानूनी थे एवं कम्पनी को आबंटित पाँच कोयला ब्लॉकों (केरवा कोयला ब्लॉक को छोड़कर) का आबंटन निरस्त कर दिया। जबकि, कम्पनी ने इन पाँच⁴⁹ कोयला ब्लॉकों के विकास पर पहले ही ₹ 339.24 करोड़ व्यय कर दिए थे।

कम्पनी कोयला ब्लॉकों का विकास करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार इन ब्लॉकों में खनन प्रारंभ करने में विफल रही तथा विलंब की अवधि करीब दो वर्ष (शंकरपुर-भटगाँव कोयला ब्लॉक) से सात वर्ष से अधिक (तारा कोयला ब्लॉक) के मध्य रही जैसा की **तालिका – 2.2.1** में दिया गया है।

⁴⁸ तारा (14 अगस्त 2003), गारे पेलमा सेक्टर-I (2 अगस्त 2006) सोनडिहा (25 जुलाई 2007), शंकरपुर-भटगाँव (25 जुलाई 2007), चेन्दीपदा (25 जुलाई 2007) एवं केरवा (7 नवंबर 2013)।

⁴⁹ तारा, शंकरपुर –भटगाँव, गारे पेलमा सेक्टर –I, सोनडिहा तथा चेन्दीपदा कोयला ब्लॉक।

तालिका – 2.2.1: उत्पादन की निर्धारित तिथि से विचलन

कोयला ब्लॉक का नाम	आबंटन की तिथि	उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि	आबंटन रद्द होने की तिथि पर विचलन
तारा	14 अगस्त 2003	14 फरवरी 2007	7 वर्ष 6 माह
गारे-पेलमा	2 अगस्त 2006	2 फरवरी 2011	3 वर्ष 6 माह
चेन्दीपदा	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	3 वर्ष 7 माह
शंकरपुर-भटगाँव	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	1 वर्ष 10 माह
सोनडिहा	25 जुलाई 2007	25 जनवरी 2011	3 वर्ष 7 माह

(स्त्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से सकलित आकड़े)

यदि इन कोयला ब्लॉकों में निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार उत्पादन प्रारंभ हुआ होता, तो कम्पनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किए गए व्यय की वसूली इन कोयला ब्लॉकों के संचालन से उत्पन्न राजस्व से हो जाती। कम्पनी द्वारा इन ब्लॉकों पर किया गया ₹ 339.24 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय इन ब्लॉकों के आबंटन के निरस्तीकरण पर व्यर्थ हो गया। जबकि, 2013 में आबंटित केरवा कोयला ब्लॉक से उत्पादन प्रारंभ करने के लिए निर्धारित माइलस्टोन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कोयला ब्लॉकों का विकास लगातार एमओसी की निगरानी में था। इन कोयला ब्लॉकों के विकास में विलंब का कारण या तो प्रक्रिया में विलंब था या फिर कम्पनी के नियंत्रण के बाहर थे। इसके अलावा, गारे पेलमा सेक्टर-I कोयला ब्लॉक पर किया गया व्यय नये आबंटिती से प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार, भविष्य में शेष राशि जब कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जाएगा वसूल कर ली जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओसी ने कोयला ब्लॉकों के विकास की धीमी गति के लिए कम्पनी को तारा (3 जनवरी 2014), शंकरपुर-भटगाँव (30 अप्रैल 2012), सोनडिहा (14 जून 2013) एवं चेन्दीपदा (4 मई 2012) कोयला ब्लॉकों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था एवं निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने में विफलता के कारण शंकरपुर-भटगाँव, सोनडिहा एवं चेन्दीपदा कोयला ब्लॉकों के मामले में बीजी राजसात करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा, नए आबंटिती से व्यय की वसूली पर शासन का कथन भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उनसे व्यय की वसूली हो भी जाती है फिर भी निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार खनन प्रारंभ करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि हुई है।

बॉक्साईट का खनन

2.2.5 बॉक्साईट एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जो कि आधुनिक उद्योग में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण गैर-लौहमय धातुओं में से एक है। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के अनुसार अप्रैल 2010 की स्थिती में छत्तीसगढ़ राज्य में ही 74.499 मिलियन टन के बॉक्साईट भण्डार थे जो कि देश में उपलब्ध कुल भण्डार 592.938 मिलियन टन के 12.56 प्रतिशत से भी अधिक था।

केसरा-II, III, IV, बरिमा VI एवं नागाढांड खदानों में बॉक्साईट का खनन एवं विपणन

2.2.5.1 कम्पनी ने आरके ट्रांस्पोर्ट कम्पनी (ठेकेदार) के साथ बरिमा VI केसरा II, III, IV एवं नागाढांड बॉक्साईट खदानों में पाँच वर्षों⁵⁰ की अवधि अर्थात् जनवरी 2009 से

50 खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु एक वर्ष को छोड़कर।

दिसंबर 2013 तक के लिए बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध निष्पादित (18 जनवरी 2008) किया। इस संबंध में निम्नलिखित पाया गया।

अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के मूल्य का संग्रहण

कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

2.2.5.2 अनुबंध की कंडिका 2.2 एवं कंडिका 15.6 (अ) के अनुसार ठेकेदार को खनन के पूर्व की गतिविधियों⁵¹ अनुबंध के दिनांक से एक वर्ष के अंदर अर्थात् जनवरी 2009 तक पूर्ण करनी थी। इसके पश्चात् ठेकेदार 12500 टन की मासिक निर्धारित मात्रा के लिए मासिक किश्त के भुगतान हेतु बाध्य था। इसके अलावा, कंडिका 19.4 के अनुसार यदि ठेकेदार कम्पनी के संतुष्टी के अनुरूप कार्य निष्पादित करने में विफल रहता है तो, ऐमडी के पास यह अधिकार होगा कि वह 60 दिन के नोटिस के बाद ठेके को निरस्त कर अन्य ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवा सकता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा वहन की गई हानि, यदि कोई हो, की वसूली ठेकेदार के बकाया बिलों एवं बैंक गारंटी (बीजी) से की जाएगी।

लेखापारीक्षा ने यह पाया कि ठेकेदार एक वर्ष की अवधि के अंदर खनन पूर्व गतिविधियों पूर्ण नहीं कर पाया। जबकि, कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि पहले तो 31 जुलाई 2009 तक बढ़ाई (19 जून 2009) तथा बाद में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि तक बढ़ाई। यद्यपि, नागाढांड एवं केसरा (केसरा— II, III एवं IV) खदानों के लिए ठेकेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति⁵² क्रमशः 3 अगस्त 2011 एवं 13 दिसंबर 2011 को प्राप्त की गई परन्तु जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमति प्राप्त नहीं की जा सकी।

कम्पनी ने अनुबंध के नियम व शर्तों⁵³ का पालन नहीं करने के लिए ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी (2 जनवरी 2015) किया। प्रत्युत्तर में ठेकेदार ने कहा (17 जनवरी 2015) कि चूँकि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं जिला कलेक्टोरेट से कार्यानुमति प्राप्त करने में विलंब शासन की ओर से विलंब की वजह से हुआ था, इसलिए वर्तमान मामले में अनुबंध की फोर्स मेज्योर कंडिका (कंडिका 19) लागू होगी। कम्पनी ने विधि प्रशिक्षु से विधिक सलाह माँगी जिसने यह मत दिया कि चूँकि ठेकेदार उत्पादन प्रारंभ करने या मासिक निर्धारित मात्रा की मासिक किश्त के भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अनुबंध की कंडिका 2.2 के अनुसार ठेका निरस्त किया जा सकता है।

कम्पनी ने ठेका निरस्त किया (23 जनवरी 2016) एवं कहा कि कम्पनी को हुई हानि की वसूली बीजी के नगदीकरण के माध्यम से की जाएगी। जबकि, ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई बीजी की अवधि, पहले ही 12 अप्रैल 2015 को समाप्त हो चुकी थी।

ठेकेदार ने निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष समादेश याचिका दायर की (2 फरवरी 2016) जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी को ठेका निरस्त करने हेतु नवीन तर्कसंगत एवं सशब्द आदेश पारित करने के लिए आदेशित (4 अप्रैल 2016) किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने एक सशब्द आदेश पारित करते हुए (4 जून 2016) कहा कि खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि बॉक्साईट की मासिक निर्धारित मात्रा के भुगतान की शर्त में छूट दिए बिना

⁵¹ संशोधित माइनिंग प्लान बनाना तथा अनुमोदित कराना, पर्यावरणीय स्वीकृति, निजि भूमि का अर्जन तथा खनन गतिविधियों प्रारम्भ कर संचालित करने से संबंधित कोई अन्य कार्य।

⁵² बरिमा VI खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जनवरी 2016 में प्राप्त की गई।

⁵³ कंडिका 1— एक वर्ष के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना, कंडिका 2— मासिक निर्धारित मात्रा के अनुसार भुगतान करना, कंडिका 15.4— मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना, कंडिका 15.6— कंडिका 1 में वर्णित खनन गतिविधियों को पूर्ण करना तथा कंडिका 16—ठेके की अवधि।

बढ़ाई गई थी तथा परिणामस्वरूप ठेकेदार निर्धारित मात्रा के भुगतान के लिए बाध्य था। जबकि ठेकेदार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार अनुबंधात्मक प्रावधानों के अनुसार निगरानी करने एवं समय पर कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता के कारण खनन संचालन मार्च 2016 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2009 से दिसंबर 2013 तक ₹ 9.30 करोड़⁵⁴ की हानि हुई।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में ठेकेदार की विफलता के परिणामस्वरूप 23 जनवरी 2016 को ठेका निरस्त कर दिया गया। बीजी की वैद्यता की अवधि बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए परन्तु ठेकेदार ने उसे नहीं बढ़ाया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यदि कम्पनी ने समय पर ठेका निरस्त कर अन्य ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवाया होता, तो वह महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित कर पाता। अपितु, कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को अब तक (नवंबर 2016) कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ मूल्य की बिजी को समाप्त होने दिया गया जिसे अन्यथा नगदीकरण कर हानि को कम किया जा सकता था।

ठेकेदार की ओर से कम्पनी द्वारा फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान

2.2.5.3 अनुबंध (18 जनवरी 2008) की कंडिका 1.1 यह प्रावधानित करती थी कि भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कम्पनी के माध्यम से ठेकेदार द्वारा किया जाएगा एवं कम्पनी को भू-अर्जन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में ठेकेदार सहायता करेगा। अनुबन्ध की कंडिका 13.1 यह भी प्रावधानित करती थी कि निजि भूमि के अर्जन की लागत भी ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

भू-अर्जन अधिकारी, जिला सरगुजा ने 52 भूविस्थापितों के लिए फसल क्षतिपूर्ति आदेश पारित (25 मार्च 2015) किया एवं कम्पनी को ₹ 6.76⁵⁵ करोड़ की राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया। यह राशि अनुबन्ध की कंडिका 1.1 एवं 13.1 के अनुसार ठेकेदार देय थी। जबकि, कम्पनी ने यह राशि बिना ठेकेदार से वसूल किए जिलाधीश एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला सरगुजा को जमा⁵⁶ करवा दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ तथा ठेकेदार को उस सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया गया। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि दलदली खदान के मामले में फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान (15 मई 2014) अनुबन्ध की कंडिका 2.10 के अनुसार ठेकेदार द्वारा किया गया था।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि ठेकेदार की ओर से रुचि में कमी को देखते हुए तथा माइनिंग लीज को व्यपगत होने से बचाने के लिए फसल क्षतिपूर्ति की राशि कम्पनी द्वारा जमा कराई गई। अनुबंध 23 जनवरी 2016 को निरस्त कर दिया गया एवं ठेकेदार को कोई भी लाभ नहीं पहुँचाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेके के अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से यह कहती हैं कि भू-अर्जन हेतु क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। कम्पनी ने ठेका निरस्त (23 जनवरी 2016) कर दिया एवं कहा कि कम्पनी को हुई हानि की वसूली बीजी के

⁵⁴ 150000 टन प्रति वर्ष x 124 प्रति टन (रॉयल्टी तथा कर छोड़कार) x 5 वर्ष (जनवरी 2009 से दिसंबर 2013)

⁵⁵ फसल क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 6.04 करोड़ तथा प्रशासनिक फीस के लिए ₹ 0.72 करोड़।

⁵⁶ 4 दिसंबर 2015 को ₹ 6.04 करोड़ तथा 14 मार्च 2016 को ₹ 0.72 करोड़।

नगदीकरण तथा अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से की जाएगी। जबकि बीजी पहले ही अप्रैल 2015 में समाप्त हो चुकी थी।

बरिमा -I से V एवं केसरा -I खदानों में बॉक्साईट का खनन एवं विपणन

2.2.5.4 कम्पनी ने बरिमा -I से V एवं केसरा-I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु मुक्त निविदा आमंत्रित (नवंबर 2006) की। उच्चतम बोलीदाता अर्थात् बालकों के साथ ₹ 160 प्रति टन की दर से प्रतिवर्ष 1.20 लाख टन⁵⁷ बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया गया। अनुबंध 16 फरवरी 2007 से 15 फरवरी 2010 तक तीन वर्षों के लिए वैध था जिसे आगे 15 फरवरी 2012 तक बढ़ाया गया।

इस संबंध में निम्नलिखित अनियमित्ताएँ पाई गयी:

बैंक गारंटी का नगदीकरण

2.2.5.5 अनुबंध की कंडिका 17.6 के अनुसार महीने में हुए वास्तविक उत्पादन को ध्यान में ना रखते हुए ठेकेदार को मासिक अनुबंधित मात्रा के मूल्य का अग्रिम भुगतान करना होगा। बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान ना होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा कार्य बंद करवा दिया जाएगा तथा यदि ठेकेदार कार्य बंद होने के सात दिवस के अंदर बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान करने में असफल रहता है तो कम्पनी सुरक्षा निधि (एसडी) राजसात कर लेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2010 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान बालकों ने चार लाख टन की अनुबंधित मात्रा के विरुद्ध कुल 3.03 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप 0.97 लाख टन का कम उत्पादन हुआ। अतः कंडिका 17.6 के अनुसार कम्पनी को कम उत्पादन के लिए ₹ 1.56 करोड़⁵⁸ की राशि वसूल करनी थी। जबकि, बकाया देय ₹ 1.60 करोड़ (अन्य देय ₹ 4.03 लाख को शामिल करते हुए) के विरुद्ध कम्पनी ने पिछले बिलों में आधिक्य भुगतान से ₹ 62.29 लाख समायोजित किए (अगस्त 2012) एवं ₹ 75 लाख⁵⁹ की एसडी/अमानत राशि (ईएमडी) राजसात की तथा शेष राशि ₹ 22.36 लाख बकाया रही।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि बालकों सितंबर 2011 से मासिक किश्तों के भुगतानों में चूक कर रहा था एवं दिसंबर 2011 से कार्य बंद कर दिया। कम्पनी ने अनुबंध के कंडिका 17.6 के अनुसार उसके पास रखी हुई ₹ 75 लाख की बीजी का नगदीकरण नहीं किया तथा बीजी को 15 फरवरी 2012 को समाप्त होने दिया। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार कम्पनी के कंट्रोलर (वित्त) की यह जिम्मेदारी थी कि वह बकाया देय की वसूली करे। अतः बीजी के नगदीकरण द्वारा बकाया देय की वसूली की कार्यवाही करने में कंट्रोलर (वित्त) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 22.36 लाख के देय बकाया रहे।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि विभिन्न स्त्रोतों से समायोजन पश्चात् ₹ 22.36 लाख बकाया थे तथा ठेकेदार ने माननीय उच्च न्यायलय, बिलासपुर में विवाचक की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर (7 जनवरी 2013) कर दिया। तदानुसार माननीय उच्च न्यायलय ने अपने आदेश दिनांक 11 जून 2013 के द्वारा एक विवाचक को नियुक्त किया। वर्तमान में मामला विवाचन में लंबित है।

⁵⁷ 16 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2012 तक दो लाख टन प्रतिवर्ष।

⁵⁸ ₹ 1,55,61,728 (97260.80 टन x ₹ 160 प्रति टन)।

⁵⁹ ₹ 25 लाख उक्त ठेके के लिए एसडी तथा ₹ 50 लाख सरगुजा एवं कबीरधाम जिलों में अन्य ठेकों के संबंध में जमा कराई गई ईएमडी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के शर्तों के अनुसार यदि कार्य बंद होने के सात दिवस के अंदर बॉक्साईट के मूल्य का भुगतान करने में ठेकेदार असफल रहता है तो कम्पनी एसडी राजसात कर सकती है। तदानुसार, कम्पनी को कार्य बंद होने के पश्चात दिसंबर 2011 में ही बीजी का नगदीकरण कर लेना चाहिए था।

पूर्व ठेके में निराशाजनक निष्पादन के बाद भी बालकों को नवीन ठेका प्रदान किया जाना

2.2.5.6 ठेकेदार मेसर्स बालकों ने पिछले ठेके (16 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2012 तक प्रभावी) में सितंबर 2011 से दिसंबर 2011 तक मासिक किश्त का भुगतान नहीं किया तथा 4 दिसंबर 2011 से खनन कार्य बंद कर दिया। इसके बावजूद कम्पनी ने पुनः बरिमा -I से IV तथा केसरा -I बॉक्साईट खदानों में खनन एवं विपणन का ठेका बालकों को प्रदान (8 सितंबर 2014) कर दिया, जिसने अक्टूबर 2014 से अगस्त 2015 तक 2.37 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया। तत्पश्चात बालकों ने पुनः सितंबर 2015 से खनन कार्य छोड़ दिया तथा फरवरी 2016 में ठेका निरस्त कर दिया गया। अतः ठेकेदार के चयन में कम्पनी के विवेकहीन निर्णय के कारण खनन क्रियाएँ पूर्ण नहीं हो सकी।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि व्यापक प्रचार द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें दो बोलीदाताओं ने भाग लिया तथा बालकों ने उच्चतम दर उद्धरित की। बॉक्साईट की सीमित माँग होने के कारण कम्पनी के पास निविदा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को चूक करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए निविदा विनिर्देशों में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करना चाहिए था।

बरिमा - I से IV तथा केसरा - I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का ठेका

2.2.5.7 कम्पनी ने ₹ 275 प्रति टन की दर से बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन के लिए बालकों के साथ अनुबंध निष्पादित (8 सितंबर 2014) किया। इस संबंध में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाई गईं।

बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का कार्य दिया जाना

2.2.5.8 कम्पनी ने बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु निविदा आमंत्रित करने के पूर्व बोलीदाता द्वारा देय बॉक्साईट की न्यूनतम दर पिछली निविदा में अंतिमीकृत दर, कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स तथा खदानों के परिचालन व्यय को ध्यान में रखकर ₹ 365 प्रति टन⁶⁰ निर्धारित (मार्च 2014) की। इसके अतिरिक्त बॉक्साईट की न्यूनतम दर जीओआई द्वारा अधिसूचित कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाना था।

उपरोक्त कार्य की निविदा के प्रत्युत्तर में (16 जून 2014) केवल दो बोलियों⁶¹ प्राप्त हुई जिनका मूल्यांकन (अगस्त 2014) निविदा समिति द्वारा किया गया एवं 8 अगस्त 2014 को मूल्य बोली खोली गई। बालकों ने ₹ 275 प्रति टन की उच्चतम बोली उद्धरित की जिसे स्वीकार कर तीन वर्षों हेतु अनुबंध निष्पादित (8 सितंबर 2014) किया गया।

⁶⁰ पिछली निविदा में अंतिमीकृत बॉक्साईट की दर ₹ 260 प्रति टन x ₹ 939 वर्ष 2013–14 के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स/₹ 785 वर्ष 2011–12 के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स + ₹ 54.42 संचालनात्मक व्यय।

⁶¹ आईआरसी नेचरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा बालकों।

अक्टूबर 2014 से अगस्त 2015 के दौरान बालकों ने 2.37 लाख टन बॉक्साईट का उत्पादन किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बालकों द्वारा उद्धरित दर ($\text{₹} 275$ प्रति टन) निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा निर्धारित $\text{₹} 365$ प्रति टन की न्यूनतम दर से कहीं कम थी। अतः कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से निम्नतर दर स्वीकार करने के परिणामस्वरूप $\text{₹} 2.13$ करोड़ के राजस्व की हानि हुई (2.37 लाख टन $\times \text{₹} 90$ अर्थात $\text{₹} 365 - \text{₹} 275$)। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में कोई भी दर वृद्धि उपबंध शामिल नहीं किया गया था जैसा कि जिला कबीरधाम में दलदली बॉक्साईट खदान के मामले में किया गया था। जिससे कम्पनी को $\text{₹} 11.96$ लाख की और हानि हुई। इसके अतिरिक्त चूँकि बॉक्साईट का उपयोग भी ठेकेदार द्वारा कैपटिव उपभोग हेतु किया जाता है, सांठगांठ के प्रश्न को नकारा नहीं जा सकता।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि निविदा के नियम व शर्तें संचालक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किए गए थे, तदानुसार बिना आधार मूल्य के निविदा आमंत्रित की गई। निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् सर्वाधिक दर उद्धरित करने वाले बोलीदाता अर्थात बालकों को सफल बोलीदाता घोषित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने निविदा आमंत्रित करने के पूर्व स्वयं बॉक्साईट की न्यूनतम दर $\text{₹} 365$ निर्धारित की थी, जबकि, कम्पनी ने इस दर पर विचार नहीं किया एवं निविदा का अंतिमीकरण $\text{₹} 275$ प्रति टन की निम्नतर दर पर किया।

बालकों से $\text{₹} 66.67$ लाख की वसूली करने में विफलता

2.2.5.9 बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध दिनांक 8 सितंबर 2014 के उपबंध 19.2 के अनुसार, ठेकेदार बालकों को मासिक अनुबंधित मात्रा के मूल्य का अग्रिम भुगतान महीने में हुए वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखे बिना करना था। अनुबंध का उपबंध 19.3 यह प्रावधानित करता है कि यदि माह की सातवीं तारीख तक मासिक किश्त का भुगतान नहीं होता है, तो कम्पनी द्वारा कार्य बंद किया जा सकता है तथा यदि बकाया राशि का भुगतान कार्य बंद होने के 15 दिवस के अंदर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज के साथ नहीं होता है तो अनुबंध निरस्त किया जाएगा एवं एसडी राजसात की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने मासिक किस्तों का भुगतान सितंबर 2015 से नहीं किया तथा कम्पनी ने 11 सितंबर 2015 को खनन कार्य बंद करवा दिया। कम्पनी ने $\text{₹} 50$ लाख की बीजी का नगदीकरण (2 दिसंबर 2015) किया, जबकि, इस समय तक बकाया देय $\text{₹} 1.17$ करोड़ तक पहुँच गया। 11 फरवरी 2016 को ठेका निरस्त कर दिया। यदि कम्पनी ने अनुबंध के उपबंध 19.3 के अनुसार कार्य बंद होने के 15 दिवस बाद अर्थात 26 सितंबर 2016 को बीजी का नगदीकरण किया होता तो उस दिन तक कुल बकाया राशि $\text{₹} 38.92$ लाख की वसूली हो गई होती। अतः कम्पनी द्वारा ठेका निरस्त करने तथा बीजी के नगदीकरण में विलंब के कारण, ठेकेदार से $\text{₹} 66.67$ लाख⁶² की वसूली नहीं हो सकी (नवंबर 2016)।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि सितंबर 2015 से नवंबर 2015 तक ठेकेदार द्वारा खदानों का संचालन नहीं किया गया एवं ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप $\text{₹} 50$ लाख की बीजी राजसात की गई। इस प्रकार, कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी कार्य बंद होने के 15 दिवस के अंदर ठेका निरस्त करने तथा एसडी राजसात करने में असफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप बकाया

⁶² $\text{₹} 1.17$ करोड़ – $\text{₹} 35.00$ लाख बीजी – $\text{₹} 15.00$ लाख ईएमडी।

देय ₹ 1.17 करोड़ तक बढ़ गए। इसके अलावा, कम्पनी ने इन खदानों के संचालन के लिए ₹ 39.84 लाख के प्रारम्भिक व्यय एवं ₹ 50.40 लाख के अन्य उपरिव्यय वहन किए जो कि अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के निर्धारित मात्रा के भुगतान की वसूली करने में विफलता के कारण वसूल नहीं किया जा सका।

दलदली खदान के लिए अनुबंध के अनुसार बॉक्साईट के मूल्य का संग्रहण

2.2.5.10 माइनिंग प्लान (8 दिसंबर 2008) तथा संशोधित माइनिंग प्लान (11 अक्टूबर 2012) के अनुसार दलदली खदान में 3.44 लाख टन बॉक्साईट के अनुमानित खनन योग्य भण्डार थे तथा पाँच वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन मात्रा **अनुलग्नक – 2.2.2** में बताए गये हैं।

दलदली खदान में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन का ठेका बाघमार बॉक्साईट इंडस्ट्रीज एप्ड ए एस एसोसिएट्स (ठेकेदार) को ₹ 220 प्रति टन की दर पर दिया (2 फरवरी 2012) गया। अनुबंध (23 मार्च 2012) के अनुसार ठेकेदार को माइनिंग प्लान के आधार पर (उपबंध 6.2.2 तथा 6.2.5) अवधारित मासिक निर्धारित मात्रा के लिए मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना था। इसके अलावा, उपबंध 6.2.7 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा का उत्पादन एवं विपणन करने में असफल रहता है, तो वह निर्धारित मात्रा के मूल्य के भुगतान के लिए बाध्य होगा।



(जिला कबीरधाम के दलदली खदान में बॉक्साईट खनन)

कम्पनी अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से बॉक्साईट का मूल्य एकत्र करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.89 करोड़ की हानि हुई।

ठेकेदार ने जुलाई 2014 से खनन कार्य प्रारंभ किया तथा मार्च 2016 तक 1.08 लाख टन की निर्धारित मात्रा के विरुद्ध 0.67 लाख टन मात्रा का उत्पादन किया। ठेकेदार ने जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक निर्धारित मात्रा का भुगतान किया तथा बॉक्साईट की कम उपलब्धता बताते हुए निर्धारित मात्रा के स्थान पर वास्तविक मात्रा के भुगतान हेतु अनुमति माँगी (23 सितंबर 2014)। कम्पनी ने खदान में खनिज भण्डारों के निर्धारण हेतु एक समिति गठित (28 अक्टूबर 2014) की। समिति की अनुशंसाओं (6 दिसंबर 2014) के आधार पर बीओडी ने बॉक्साईट की वास्तविक उपलब्धता का निर्धारण कर माइनिंग प्लान को संशोधित करने के बाद तदानुसार भुगतान लेने का निर्णय (27 जनवरी 2015) लिया। इसके अलावा माइनिंग प्लान के संशोधित होने तक, ठेकेदार से एक निश्चित मात्रा हेतु भुगतान लेना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा के लिए देय ₹ 3.08 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान किया। अतः ठेकेदार को माइनिंग प्लान तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित मात्रा से निम्नतर मात्रा के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने के कारण कम्पनी

को ₹ 1.73 करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जुलाई 2014 से मार्च 2016 के दौरान ठेकेदार ने 21 मासिक किश्तों का एक से 20 दिवस के विलंब से भुगतान किए। ठेकेदार द्वारा कम/विलंब से भुगतान करने के कारण कम्पनी को ₹ 16.11 लाख ब्याज की हानि हुई। विलंब से भुगतान का मामला ना ही माफ किया/टाला गया और ना ही उसे बीओडी के संज्ञान में लाया गया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार करने तथा माइनिंग प्लान में संशोधन से संबंधित मामला विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जीओसीजी को विधिक सलाह हेतु भेजा गया है। इसके अलावा, खदान की निरंतरता बनाए रखने के लिए ठेकेदार को एक निश्चित मासिक मात्रा के लिए भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर खनन कार्य किया जा रहा है। विधिक सलाह पर विचार करने के बाद ही आगे कोई कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आज तक (नवंबर 2016) आईबीएम को अनुमोदन हेतु कोई भी संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया है तथा माइनिंग प्लान एवं अनुबंध का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को निम्नतर मात्रा के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, आईबीएम द्वारा पूर्व में अनुमोदित दोनों माइनिंग प्लान (दिसंबर 2008 तथा अक्टूबर 2012) के अनुसार बॉक्साईट भण्डार 3.44 लाख टन थे जिसके आधार पर अनुबंध में मासिक निर्धारित मात्रा निश्चित की गई थी, यद्यपि बीओडी ने इस तथ्य की अनदेखी की।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास तथा जिला खनिज संस्थान निधि में ₹ 95.57 लाख के संवैधानिक देय का जमा

2.2.5.11 खान मंत्रालय, जीओआई ने खान एवं खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 (नियम) अधिसूचित (17 सितंबर 2015) किए जो 12 जनवरी 2015 से प्रभावी थे। नियम के अनुसार प्रत्येक माइनिंग लीज धारक को 12 जनवरी 2015 से पहले प्रदान किए गए माइनिंग लीज के संबंध में भुगतान किए गए रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर से तथा 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद प्रदान किए गए माइनिंग लीज के संबंध में भुगतान किए गए रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर से जिला खनिज संस्थान निधि (डीएमएफ) में जमा करना होगा। इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन, अधिनियम, 2015 जिसे जीओआई ने मार्च 2015 में अधिसूचित किया था, के अनुसार रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि⁶³ (एनएमईटी) में जो 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था भी देय था। डीएमएफ का उद्देश्य खनन संबंधी क्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के लाभ के लिए कार्य करना था तथा एनएमईटी निधि का उपयोग खनिजों के क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण के लिए किया जाना था।

बालको (बरिमा-I से IV तथा केसरा- I खदानों के संचालन हेतु) तथा बाघमार बॉक्साईट इंडस्ट्रीस एण्ड ए एस एसोसिएट्स (दलदली खदान के संचालन के लिए) के साथ हुए अनुबंध के अनुसार संवैधानिक अधिरोपित राशि तथा करों को जमा करने तथा ठेकेदार से उनकी वसूली की जिम्मेदारी कम्पनी की थी। जबकि, कम्पनी जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक किए गए बॉक्साईट खनन के लिए डीएमएफ तथा एनएमईटी की संवैधानिक देय राशि का भुगतान करने तथा ठेकेदार से उसकी वसूली करने में असफल रही।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओसीजी ने बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों (जनवरी 2015 से अगस्त 2015) तथा दलदली खदान (जनवरी 2015 तथा दिसंबर 2015 के मध्य) में बॉक्साईट के खनन के संबंध में कम्पनी को डीएमएफ तथा एनएमईटी के लिए

⁶³ राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि की स्थापना 14 अगस्त 2015 को हुई थी।

क्रमशः ₹ 94.91 लाख तथा ₹ 6.32 लाख जमा करने हेतु निर्देश (दिसंबर 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2016 एवं अप्रैल 2016) दिए।

जबकि, कम्पनी ने डीएमएफ के लिए ₹ 5.23 लाख तथा एनएमईटी के लिए ₹ 0.43 लाख ही जमा किए तथा दलदली खदान के ठेकेदार से उसकी वसूली की। कम्पनी ने जीओसीजी के निर्देश के बाद भी ना तो डीएमएफ के लिए ₹ 89.68 लाख एवं एनएमईटी के लिए ₹ 5.89 लाख जमा किए और ना ही ठेकेदारों से उसकी वसूली की।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी ने दलदली खदान के संबंध में डीएमएफ तथा एनएमईटी का भुगतान क्रमशः सितंबर 2015 तथा अगस्त 2015 से किया तथा ठेकेदार से उसकी वसूली की। जबकि बरिमा-I से IV तथा केसरा -I खदानों के संबंध में कोई भी भुगतान नहीं किया गया क्योंकि ये खदानें सितंबर 2015 से प्रचलन में नहीं थीं। माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दलदली खदान के संबंध में 12 जनवरी 2015 से 15 सितंबर 2015 तक की अवधि के लिए डीएमएफ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी डीएमएफ तथा एनएमईटी के संवैधानिक देय का भुगतान करने में असफल रही, जिससे इन निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

बॉक्साईट पर रॉयल्टी का भुगतान

2.2.5.12 प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बरिमा तथा केसरा बॉक्साईट खदानों के संबंध में कम्पनी पूर्व माह के उत्पादन/ट्रांसिट पासों के अनुसार परिवहन की गई मात्रा के आधार पर अंबिकापुर कलोकटोरेट के खनन शाखा में रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान करती है। कम्पनी को रॉयल्टी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध ट्रांसिट पास जारी किए जाते थे।

अनुलग्नक— 2.2.3 में दिए गए 31 मार्च 2016 को समाप्त पाँच वर्षों के लिए रॉयल्टी के विवरण से यह पता चलता है कि कम्पनी द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी हर बार देय रॉयल्टी से अधिक थी एवं यद्यपि 2012–13, 2013–14 तथा 2015–16 (अगस्त 2015 के बाद) में खनन कार्य नहीं किया गया था, कम्पनी ने खनन विभाग से आधिक्य रॉयल्टी की वापसी हेतु माँग नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 22.16 लाख की निधि अवरुद्ध रही।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि भविष्य में बॉक्साईट खदानों के प्रारंभ होने पर आधिक्य जमा की गई रॉयल्टी समायोजित की जाएगी।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि रॉयल्टी का भुगतान वास्तविक देय रॉयल्टी के उचित निर्धारण किए बिना किया गया जिससे कम्पनी की निधि अवरुद्ध रही।

लौह अयस्क का खनन

2.2.6 लौह अयस्क खनन का, जो लौह एवं इस्पात उद्योग का एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है, देश में की जा रही खनन गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान हैं। जुलाई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के ऑकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2010 में देश में उपलब्ध कुल भंडार (8093.55 मिलियन टन) में से 11.12 प्रतिशत (900.11 मिलियन टन) केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है।

लौह अयस्क निक्षेप के विकास तथा दोहन के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ हुआ समझौता ज्ञापन

2.2.6.1 छत्तीसगढ़ शासन ने कबीरधाम जिले में सहसपुर–लोहारा क्षेत्र (एकलामा लौह अयस्क निक्षेप) के आसपास 1909.04 हेक्टर क्षेत्र में लौह अयस्क के पूर्वक्षण हेतु कम्पनी

को पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति प्रदान (23 मार्च 2011) किया। भूर्गम् तथा खनन संचालनालय, छत्तीसगढ़ के प्राक्कलन के अनुसार एकलामा लौह अयस्क निक्षेप में अनुमानित 100 मीलियन टन लौह अयस्क भण्डार हैं। इसके अलावा, कम्पनी ने अनुमान लगाया कि, यदि लौह आयस्क निक्षेप को खान विकासकर्ता सह प्रचालक के माध्यम से विकसित किया जाए तो इससे ₹ 900 करोड़ से ₹ 1000 करोड़ तक प्रतिवर्ष अर्जित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम माध्यम के जरिए एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के विकास करने का आग्रह (29 सितंबर 2011) किया। कम्पनी ने लौह अयस्क निक्षेप के विकास तथा दोहन के लिए सेल के साथ 2 नवंबर 2012 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के शर्तों के अनुसार, सेल को रेल लाइन बिछाने, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज इत्यादि स्थापित करने के साथ स्थानीय लोगों के लाभ के लिए कल्याण कार्य तथा अन्य विकास कार्य भी करना था। सेल द्वारा संयुक्त उद्यम अनुबंध (जेहीए) का मसौदा (30 नवंबर 2012 तथा 14 सितंबर 2013) को प्रस्तुत किया गया। तथापि सहमति न बनने के कारण जेहीए को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेहीसी) के गठन में शीघ्रता लाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तथा कम्पनी के अध्यक्ष, सेल के निदेशक (वित्त) एवं सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित (29 जनवरी 2014) की गयी। सेल ने उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल करते हुए कम्पनी को जेहीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत (26 अप्रैल 2014) किया। तथापि, कम्पनी के संचालक मंडल ने एमओयू का अंतिम मसौदा पर विचार नहीं किया और निर्णय (24 जुलाई 2014) लिया कि एमओयू को जेहीए के अंतिमीकरण में विलंब के कारण समाप्त कर दिया जाए। सेल द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा में उच्च स्तरिय समिति जिसमें कम्पनी के अध्यक्ष एक सदस्य थे के सुझावों को शामिल किया गया था पर विचार न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। कम्पनी ने एमओयू को रद्द (26 सितम्बर 2014) कर दिया और छत्तीसगढ़ शासन से माइनिंग लीज के लिए आवेदन (23 जून 2015) किया। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2016)। कम्पनी आज तक लौह अयस्क का खनन शुरू नहीं कर सकी है जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 एवं दिसंबर 2014 के मध्य कम्पनी द्वारा एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के अन्वेषण पर व्यय की गयी राशि ₹ 5.45 करोड़ अवरुद्ध रही। चूंकि कम्पनी ने सेल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल कर जेहीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के बाद भी एमओयू का निष्पादन नहीं किया तथा लौह अयस्क के माइनिंग लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब किया, कम्पनी ने लौह अयस्क के अनुमानित 100 मीलियन टन के भण्डार के दोहन का अवसर खो दिया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि कम्पनी द्वारा सभी प्रयासों के बावजुद जेहीए के नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने में सेल असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एमओयू निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा, चूंकि पूर्वेक्षण कार्य पर किया गया व्यय माइनिंग लीज प्राप्त करने तथा खनन गतिविधियाँ संचालित करने हेतु आवश्यक था, उसे अवरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सेल ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा 16 अप्रैल 2014 को आयोजित बैठक में दिये गये सुझावों को सम्मिलित कर जेहीए का अंतिम मसौदा प्रस्तुत (26 अप्रैल 2014) किया था। जबकि कम्पनी के संचालक मंडल ने जेहीए के अंतिम प्रारूप पर विचार किये बिना एमओयू को समाप्त (26 सितंबर 2014) कर दिया।

इसके अलावा, 23 मार्च 2011 को पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनी ने केवल 23 जून 2015 को चार वर्षों से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया जो अभी तक अप्राप्त है। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया व्यय अवरुद्ध रहा।

लौह अयस्क का माइनिंग लीज

2.2.6.2 कम्पनी ने कांकरे जिले के अरीड़ोंगरी क्षेत्र में लौह अयस्क हेतु माइनिंग लीज प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को (20 मई 2011) आवेदन किया। छत्तीसगढ़ शासन ने (4 सितम्बर 2014) 39 महीने के बाद खान मंत्रालय, भारत सरकार से माइनिंग लीज प्रदान करने हेतु अनुशांसा की जबकि, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 63 अ की शर्तों के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 12 महीनों के अंदर अनुशांसा करनी होती है। 27 महीनों का विलम्ब मुख्यतः इसलिए हुआ कि कम्पनी ने यूएनएफसी⁶⁴ प्रणाली के अनुरूप लौह अयस्क को वर्गीकृत करने के आईबीएम के दिशा निर्देशों (19 मार्च 2010) के अनुसार प्री-फीसिबिलिटी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब कर दिया।

भारत सरकार ने (14 अक्टूबर 2015) माइनिंग लीज की स्वीकृति प्रदान की और छत्तीसगढ़ शासन ने (10 नवंबर 2015) कम्पनी को अनुदेश जारी किया कि वह छः महीनों के अंदर अनुमोदित माइनिंग प्लान तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करे। आईबीएम द्वारा (12 जुलाई 2016) माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्रदान किया गया और पर्यावरणीय स्वीकृति अभी तक (नवंबर 2016) विचाराधीन है।

इस प्रकार, आईबीएम के निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की असफलता के कारण भारत सरकार से माइनिंग लीज प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग तथा प्रारंभिक अन्वेषण कार्य पर खर्च हुई राशि ₹ 75.30 लाख⁶⁵ चार से लेकर 8 वर्षों तक अवरुद्ध रही।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि विलम्ब का कारण मुख्यतः नक्सल समस्या, आवेदित क्षेत्र की स्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त करने में विलम्ब तथा प्री-फीसिबिलिटी प्रतिवेदन में खनिज भंडारों के प्राक्कलन एवं वर्गीकरण में यूएनएफसी प्रणाली का पालन न करना था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि व्यय की गई राशि व्यर्थ नहीं थी क्योंकि माइनिंग लीज के लिए आवेदन पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के बिना नहीं किया जा सकता।

तथ्य यह रहा कि कम्पनी ने यूएनएफसी प्रणाली के संबंध में आईबीएम के दिशा निर्देश (19 मार्च 2010) का उल्लंघन करते हुए प्री-फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार कर माइनिंग लीज हेतु आवेदन (20 मई 2011) किया। जिसके कारण भारत सरकार द्वारा माइनिंग लीज प्रदान करने में विलम्ब हुआ और अभी तक खान अप्रचलित है (नवंबर 2016)।

टिन अयस्क का खनन

2.2.7 टिन का उपयोग मुख्य रूप से टिन प्लेटिंग करने, विशेष मिश्र धातुओं के सोलडिंग करने तथा काँसा तैयार करने में होता है। मई 2016 में प्रकाशित आईबीएम ईयर बुक 2014 के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार भारत में टिन का कुल भंडार 7132 टन था और टिन का समस्त भंडार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है।

⁶⁴ युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर फौसिल एनर्जी एण्ड मिनरल रिजर्व्स एण्ड रिसोर्स।

⁶⁵ ₹ 19.70 लाख 28 नवंबर 2007 को, ₹ 27.80 लाख 14 दिसंबर 2009 को तथा ₹ 27.80 लाख 29 अगस्त 2011 को।

टिन अयस्क का खनन प्रचलन का प्रारंभ

2.2.7.1 खनिज संसाधन विभाग, जीओसीजी ने दंतेवाड़ा जिले में टिन अयस्क का माइनिंग लीज प्रदान किया (6 फरवरी 2010) तथा माइनिंग लीज डीड का निष्पादन (19 जुलाई 2010) जीओसीजी के साथ किया गया। खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) के नियम 28 के अनुसार यदि लीज प्रदान करने की तिथि से दो वर्षों के अवधि के अंदर खनन कार्य शुरू नहीं किया गया तथा कार्य शुरू करने के बाद लगातार दो वर्षों तक कार्य बंद कर दिया गया तो राज्य शासन आदेश जारी करके माइनिंग लीज को व्यपगत घोषित कर देगी।

कम्पनी ने (10 मई 2012 तथा 31 जनवरी 2014) माइनिंग लीज को बढ़ाने के लिए आवेदन किया क्योंकि आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा भूस्वामीयों की सहमति नहीं मिलने के कारण खनन कार्य शुरू नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने 18 जुलाई 2012 से 17 जुलाई 2014 तथा 18 जुलाई 2014 से 17 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए माइनिंग लीज बढ़ाने की स्वीकृति (12 जून 2014 तथा 24 फरवरी 2016) दी और कम्पनी को निर्देश दिया कि वह विस्तार अवधि की तारीख से छः महीने के अंदर खनन कार्य शुरू कर दे।

तथापि, कम्पनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन जो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त हैं, तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि माइनिंग लीज प्राप्त होने की तारीख से 81 महीने⁶⁶ से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी और अभी तक (नवंबर 2016) टिन अयस्क का खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित है तथा सुरक्षा कारणों से पर्यावरणीय स्वीकृति, जिसमें बड़ा व्यय सम्मिलित होता है, को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

तथ्य यह रहा कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खनन कार्य बढ़ायी गई अवधि के दौरान भी शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा कम्पनी को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में होने वाले भारी खर्च तथा नक्सल समस्या की पूरी जानकारी माइनिंग लीज प्राप्त करने के समय तथा लीज अवधि बढ़ाने के समय थी।

कोलंबाईट का व्यापार

कोलंबाईट के व्यापार के लिए लाईसेंस का नवीनीकरण

2.2.8 कोलंबाईट जो टिन अयस्क का सह-उत्पाद है, इसका परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), भारत सरकार के लिए सामरिक महत्व है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कम्पनी को सुझाव (जुलाई 2001) दिया कि वह स्थानीय आदिवासीयों से कोलंबाईट खरीदे तथा उसे परमाणु ऊर्जा विभाग को बेचे। तदानुसार, कम्पनी ने (मार्च 2002) स्थानीय आदिवासीयों से कोलंबाईट खरीदने का काम शुरू किया जो जनवरी 2008 तक जारी रहा और कम्पनी ने डीएई को 383.50 किलोग्राम कोलंबाईट बेचा (8 फरवरी 2005)। इसके अलावा कम्पनी द्वारा ₹ 403.00 प्रति किलोग्राम⁶⁷ की दर से 14895 किलोग्राम कोलंबाईट विमल स्टोन एसोसिएट्स⁶⁸ को बेचा (20 अगस्त 2008 और 22 नवंबर

⁶⁶ मार्च 2010 से नवम्बर 2016

⁶⁷ स्थानीय आदिवासीयों को दिया जाने वाला कोलंबाईट का क्य मूल्य ₹ 310 प्रति किलो था।

⁶⁸ एक अनुबंध के तहत (सितंबर 2007) जो विमल स्टोन्स एसोसिएट्स को सितंबर 2010 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 120 टन कोलंबाईट प्रति वर्ष विक्रय करने का प्रावधान करता था।

2008)। उसके बाद आज तक (नवंबर 2016) कम्पनी द्वारा कोलंबाईट की कोई खरीद और बिक्री नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएई ने कम्पनी को प्रति वर्ष 120 टन कोलंबाईट का व्यापार करने का अनुज्ञाप्ति प्रदान (28 फरवरी 2007) किया था और अनुज्ञाप्ति 31 जनवरी 2010 तक वैध थी। कम्पनी ने अनुज्ञाप्ति की वैधता की अवधि और तीन वर्ष बढ़ाने हेतु आवेदन (26 दिसंबर 2009) किया। प्रत्युत्तर में डीएई ने कम्पनी को अन्वेषण तथा अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज संचालनालय, जीओआई (एएमडी) से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओसी), कम्पनी ने जिन पार्टियों के साथ सौदा किया उनका नाम तथा व्यापार किए गए कोलंबाईट के अंतिम उपयोग की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश (29 जनवरी 2010 तथा 28 सितंबर 2010) दिया।

जबकि, कम्पनी समय पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही तथा एएमडी को एनओसी के लिए केवल अगस्त 2013 में प्रस्ताव किया। अंततः डीएई ने 26 मार्च 2014 से 25 मार्च 2017 तक तीन वर्षों के लिए कम्पनी को अनुज्ञाप्ति प्रदान (26 मार्च 2014) की।

यदि कम्पनी ने अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण की शर्तों के पालन के लिए समय पर कार्यवाही की होती तो कम्पनी अक्टूबर 2010 से सितंबर 2013 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कोलंबाईट के विक्रय का ठेका निष्पादित कर पाती, क्योंकि फर्म (विमल स्टोन एसोसिएट्स) ने पहले ही तीन वर्षों के लिए कोलंबाईट की आपूर्ति को पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध (सितंबर 2010) किया था।

जबकि, कम्पनी अनुबंध की अवधि को बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा एएमडी से एनओसी प्राप्त करने में कम्पनी की विफलता के कारण अनुज्ञाप्ति की वैधता का नवीनीकरण नहीं हो सका। अतः कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण अक्टूबर 2010 से सितंबर 2013 की अवधि में ₹ 3.35 करोड़⁶⁹ के राजस्व की हानि हुई।

आगे यह पाया गया कि 26 मार्च 2014 से 25 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए डीएई से अनुज्ञाप्ति प्राप्त होने पर कम्पनी ने 32 माह व्यतीत होने के बाद भी कोलंबाईट का व्यापार अब तक (नवंबर 2016) प्रारंभ नहीं किया, जिसका कारण योग्य व अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की अनुपलब्धता बताया गया।

शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण के लिए डीएई से नियमित पत्राचार किया गया था तथा अनुज्ञाप्ति प्राप्त होने के बाद योग्य तथा अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की शर्तों में डीएई द्वारा छूट नहीं देने के कारण खरीदी नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने करीब तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद ही एनओसी के लिए एएमडी को अगस्त 2013 में प्रस्ताव किया। इसके अलावा, कम्पनी ने अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन करते (26 दिसंबर 2009) समय डीएई को योग्य व अनुभवी सुरक्षा अधिकारी तथा रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए आश्वासन दिया था। जबकि, इन अधिकारियों की भर्ती कम्पनी द्वारा नहीं की गई जो कि कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति की एक पूर्व आवश्यकता है।

⁶⁹ तीन सालों में फर्म को विक्रय की जाने वाली कुल 360000 किलोग्राम मात्रा ₹ 93 प्रति किलोग्राम की दर से (विक्रय मूल्य ₹ 403.00 प्रति किलोग्राम—क्य मूल्य ₹ 310.00 प्रति किलोग्राम)= ₹ 33480000

पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमों का अनुपालन

2.2.9 पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार, (जीओआई) ने अनेक अधिनियम और कानून बनाये हैं। राज्य स्तर पर अधिनियमों तथा कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) नियामक एजेंसी है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी विभिन्न कानूनों के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं।

खदान संचालित करने हेतु सीईसीबी द्वारा दी गयी सम्मति के शर्तों के अनुसार कम्पनी को वातावरण में वायु की गुणवत्ता की परिवीक्षा करना तथा अभिलिखित करना था। इसके अलावा, दलदली बॉक्साईट खान (कम्पनी की एक मात्र प्रचलित खान) के संचालन के लिए हुए अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को पर्यावरणीय क्षति तथा परिणामस्वरूप संपत्ति एवं मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को पूर्वस्थिति में लाने/कम करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा कार्यप्रणाली नियोजित करना था। इसके अलावा वृक्षारोपण तथा खान क्षेत्र की भूमि में सुधार करना था जिसका खर्च ठेकेदार को वहन करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि खदानों के संचालन में विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों (जैसे कि वातावरणीय वायु गुणवत्ता का विश्लेषण, खनन किए गए क्षेत्र में वृक्षारोपण इत्यादि) का पालन बरिमा तथा केसरा बॉक्साईट खदानों के परिचालन के दौरान किया गया। जबकि, लेखापरीक्षा दल तथा कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दलदली बॉक्साईट खदान के संयुक्त निरीक्षण के दौरान (20 मई 2016), निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

(i) वायु प्रदूषण

खनन संचालन कि विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि ड्रिलिंग, विस्फोट, लदान एवं परिवहन के कारण कुछ जहरीली गैसों के उत्पन्न होने कि संभावना रहती हैं। खनन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण होने वाली वायु प्रदूषण को निम्नलिखित श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(अ) गैसिय प्रदूषण (नाइट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डाइऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड) और

(ब) ससपेन्डेड पार्टीकुलेट मेटर

सीपीसीबी द्वारा अधिसूचित (18 नवंबर 2009) राष्ट्रीय वातावरणीय वायु मानक के अनुसार सल्फर डाइऑक्साईड, नाइट्रोजन डाइऑक्साईड और ससपेन्डेड पार्टीकुलेट मेटर जिसका आकार 2.5 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम हो, एक वर्ष के दौरान क्रमशः $50 \mu\text{m}^3$, $40 \mu\text{m}^3$ तथा $40 \mu\text{m}^3$ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तथापि संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा वातावरणीय वायु गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया जा रहा था।

(ii) ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 का उद्देश्य ध्वनि पैदा करने वाले स्त्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करना है ताकि ध्वनि से संबंधित वातावरणीय वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। तदानुसार, ध्वनि का स्तर औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डीबी (ए) एलईक्यू⁷⁰ तथा रात में 70 डीबी (ए) एलईक्यू निर्धारित किया गया हैं।

कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरण में वायु की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमों का पालन सुनिश्चित करने में असफल रही।

⁷⁰ डीबी (ए) एलईक्यू का सम्बन्ध ध्वनि की समय भार औसत के स्तर से है जो स्केल-ए में दर्शाया जाता है जो कि मानवीय श्रवण से सम्बन्धित है। डेसिबल एक इकाई है जिसमें ध्वनि को मापा जाता है। डीबी (ए) एलईक्यू का "ए" ध्वनि के माप में आवृत्ति के भार को दर्शाता

इसके अलावा, अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार उच्च ध्वनि स्तर के खतरों से कामगारों को बचाने के लिए उन्हे ईयर प्लग तथा वायु अवरोधक संचालन केबिन भी प्रदान करना था। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि न तो ध्वनि स्तर पर नजर रखने तथा अभिलिखित करने के लिए कोई प्रणाली थी और ना ही कर्मचारियों को ईयर प्लग/वायु अवरोधक संचालन केबिन प्रदान किये गये थे।

(iii) वृक्षारोपण

ओपन कास्ट खनन का एक बड़ा कुप्रभाव भू-क्षरण होता है और इसके कुप्रभावों को रोकने का कोई भी प्रयास उपयुक्त भूमि सुधार उपाय के बिना अधूरा होगा। अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये भूमि को निकाली गई मिट्टी तथा बेकार पदार्थों से बराबर करने के बाद प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाने थे। तथापि, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनन किये गए क्षेत्र में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया था जबकि प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाने थे।

(iv) बचाव एवं सुरक्षा

अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार लीज क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए उसे उचित तरीके से फेसिंग करना था। तथापि यह पाया गया कि लीज क्षेत्र की फेसिंग नहीं की गयी।

शासन ने यह कहा (नवंबर 2016) कि कर्मचारियों को ईयर प्लग प्रदान किये गये थे तथा उनके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ईयर प्लगों से होने वाले लाभ के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि 2016–17 के दौरान लगाये गये 70 प्रतिशत पेड़ जीवित रहें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। लीज क्षेत्र की फेसिंग के बारे में शासन ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में फेसिंग का काम प्रस्तावित हैं ताकि बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कर्मचारियों/स्टाफ को ईयर प्लग तथा वायु अवरोधक संचालन केबिन प्रदान नहीं किया गया। इसके अलावा, वातावरणीय वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा भी उपरोक्त कमियों को स्वीकार किया गया। इस प्रकार कम्पनी/ठेकेदार विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन में असफल रही।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि:

- अपने राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक तथा कर्मचारी लाभ पर व्यय करने के बाद भी कम्पनी खनिजों का खनन एवं विपणन स्वयं नहीं करती तथा लागत-लाभ विश्लेषण किए बिना इन गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के लिए निजि ठेकेदारों को कार्यादेश देती थी। खनन पूर्व गतिविधियाँ जैसे फीसिविलिटी प्रतिवेदन तैयार करना, संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना इत्यादि भी बाह्य एजेंसियों द्वारा किए जाते थे।
- कम्पनी कोयला ब्लॉकों के विकास करने तथा खनन प्रारंभ करने में असफल रही यद्यपि उत्पादन प्रारंभ करने के माइलस्टोन से करीब दो वर्षों से सात वर्षों से अधिक व्यतीत हो गए तथा कम्पनी द्वारा इन ब्लॉकों पर बड़ी राशि व्यय की गई।

है एवं मानवीय कर्ण कितने आवृत्ति में प्रतिक्रिया करता है को दर्शाता है। एलईक्यू एक निश्चित अवधि में ध्वनि स्तर की औसत ऊर्जा है।

असफलता मुख्यतः भूगर्भीय प्रतिवेदनों को तैयार करने में विलंब, विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माइनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू—अर्जन इत्यादि के लिए आवेदन करने में विलंब के कारण से थी। कम्पनी को आबंटित पाँच कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2014) से कम्पनी द्वारा खनन पूर्व कार्यों पर व्यय किए गए ₹ 339.24 करोड़ व्यर्थ हो गए।

- कम्पनी ने अनुबंधात्मक प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में समय पर कार्यवाही तथा निगरानी नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप दलदली बॉक्साईट खदान के ठेकेदार ने बॉक्साईट के खनन एवं विपणन हेतु अनुबंध तथा माइनिंग प्लान के अनुसार मासिक निर्धारित मात्रा के लिए भुगतान की जगह वास्तविक उत्खनित मात्रा के लिए भुगतान किया।
- केसरा II, III, IV, बरिमा VI तथा नागाढ़ांड बॉक्साईट खदानों में खनन एवं विपणन के ठेके में कम्पनी ने अनुचित रूप से खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई।
- चूंकि कम्पनी ने सेल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को शामिल कर अंतिम जहीए का मसौदा प्रस्तुत करने पर भी एकलामा खदान के विकास के लिए सेल के साथ हुए एमओयू को निष्पादित नहीं किया तथा लौह अयस्क के माइनिंग लीज का आवेदन करने में विलंब किया कम्पनी ने अनुमानित 100 मिलियन टन के लौह अयस्क भण्डार के दोहन के अवसर से वंचित हो गया।
- कम्पनी जिला कांकेर में अरिडोंगरी लौह अयस्क खदान को संचालित करने में असफल रही क्योंकि प्री—फिसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने में प्रचलित निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण माइनिंग लीज प्राप्त नहीं की जा सकी।
- कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण ₹ 3.35 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
- कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरणीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि कम्पनी को :

- खनिजों के खनन एवं विपणन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के विभागीय निष्पादन हेतु उचित लागत—लाभ विश्लेषण कर इस मामले पर उपयुक्त दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- राजस्व से आय को बढ़ाने तथा अप्रचलित खदानों से राजस्व की हानि को टालने के लिए खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए समय पर कार्यवाही करना चाहिए।
- राज्य के वृहद लौह अयस्क भण्डारों के दोहन के लिए प्रमुख इस्पात निर्माताओं से एमओयू सहित अन्य विकल्पों की खोज करना चाहिए।
- बॉक्साईट खनन के संबंध में न्यूनतम निर्धारित मात्रा के भुगतान संबंधी अनुबंध के नियम व शर्तों का ठेकेदार द्वारा पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- विभिन्न अधिनियमों के अतंगत निर्धारित पर्यावरणीय विनियमनों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।